BADM

Paper - 2

Unit - I

2018

Q:1 अन्तर बताइये

[A] ठहराव और अनुबन्ध

[B] व्यर्थ ठहराव और व्यर्थनीय अनुबन्ध

	आधार	ठहराव	अनुबन्ध
1.	परिभाषा	वचन तथा वचनों का प्रत्येक समूह जो एक-दूसरे के लिए प्रतिफल है, ठहराव है।	अनुबन्ध वह ठहराव है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तित करवाया जा सकता है।
2.	निर्माण	ठहराव का निर्माण प्रस्ताव को स्वीकृत करने से होता है।	ठहराव तथा उसकी प्रवर्तनीयता (अनुबन्ध की सभी आवश्यक तत्व की विद्यमानता) से अनुबन्ध का निर्माण होता है।
3.	वैधानिक अधिकार एवं दायित्व	ठहराव से पक्षकारों के वैधानिक अधिकारों एवं दायित्व का जन्म होना आवश्यक नहीं है।	अनुबंध के निर्माण से पक्षकारों के अधिकारों एवं दायित्व का जन्म अवश्य होता है।
4.	आवश्यकता	ठहराव के लिए किसी अनुबंध की आवश्यकता नहीं पडती है।	अनुबन्ध के लिए ठहराव का होना परम आवश्यक है।
5.	वैधानिक बाध्यता	ठहराव वैधानिक रूप से बाध्यकारी नहीं होता है।	अनुबंध निश्चित रूप से बाध्यकारी होती है।

6.	अवधारणाओं का क्षेत्र	ठहराव एक व्यापक अवधारणा है, जिसमे अनुबंध भी सम्मिलित है।	अनुबंध एक सीमित अवधारणा है जिसमे एक विशेष प्रकार के ठहराव भी सम्मिलित है।
7.	प्रकृति	सभी ठहराव अनुबंध नही होते है।	सभी ठहराव अनुबंध ठहराव होते है।

[B] व्यर्थ ठहराव और व्यर्थनीय अनुबन्ध

	आधार	व्यर्थ ठहराव	व्यर्थनीय अनुबन्ध
1.	परिभाषा	जो ठहराव राजानियम द्वारा प्रवर्तित नही करवाया जा सकता है वह ठहराव व्यर्थ ठहराव कहलाता है।	जो अनुबंध केवल एक पक्षकार अथवा पक्षकारो के इच्छा पर परिवर्तित होते है तथा दूसरे पक्षकारो अथवा पक्षकारो के इच्छा पर नही होते है तो वह व्यर्थनीय अनुबंध कहलाते है।
2.	वैधता की अवधि	इसमे वैधता का बिल्कुल अंश नही होता है। इसे न्यायलय द्वारा कभी भी प्रवर्तित नही करवाया जा सकता है।	व्यर्थनीय अनुबंध तब तक ही कानून द्वारा प्रवर्तित करवाया जा सकता है, जब तक की पीड़ित द्वारा अन्य रद्द कर दिया जाता है।
3.	कानूनी अस्तित्व	इनका कानूनी दृष्टि से कोई भी अस्तित्व नही	इनका तब तक कानूनी अस्तित्व बना रहता है

	होता है, इन्हें न्यायालय द्वारा अनुबंध ही नहीं माना जाता है।	जब तक की पीड़ित पक्षकार द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाये।
4. स्थिति में परिवर्तन	इनकी स्थिति कभी भी नहीं बदलती है। एक व्यर्थ अनुबंध सदैव ही व्यर्थ बना रहता है।	व्यर्थनीय अनुबंध इस स्थिति बदल सकती है यह वैध तथा अवैध दोनों में से किसी भी प्रकार के अनुबंध का रूप ले सकता है।
5. कारण	ठहराव व्यर्थ तब होता है जबकि वह (i) अनुबंध करने की क्षमता का न होना (ii) ठहराव गलतियों पर आधारित होना (iii) बिना प्रतिफल पर किया गया हो (iv) उद्देश्य तथा प्रतिफल अवैधानिक हो (v) कार्य असम्भव तथा अनिश्चित अर्थ वाला हो (vi) यदि परिस्थितियों के अनुसार उसे पूरा करना असम्भव हो गया हो तो भी अनुबंध व्यर्थ हो जाता है।	व्यर्थनीय अनुबंध तब कहलाता है जबकि वह (i) उत्पीड़न अथवा (ii) अनुचित प्रभाव (3) मिथ्या वर्णन अथवा (4) कपट से प्रभावित है। इनके तथा 55 अन्तर्गत भी पक्षकार अनुबंध को व्यर्थनीय समझ सकते है।
6. पक्षकारों की इच्छा	ठहराव के सभी पक्षकार चाहे तो भी एक व्यर्थ अनुबंध को वैध नहीं बना सकते है।	एक व्यर्थनीय अनुबंध का पीड़ित पक्षकार चाहे तो उस अनुबंध को वैध अनुबंध का स्वरूप प्रदान कर सकता है।

7. प्राप्त वस्तु का हस्तान्तरण या विक्रय	अर्थ ठहराव के अन्तर्गत प्राप्त वस्तु का हस्तान्तरण किसी तीसरे पक्षकार को नहीं किया जा सकता यदि हस्तांतरण कर दिया जाता है तो वस्तु प्राप्त कर्ता को अच्छा अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता है।	अर्थनीय अनुबंध के अन्तर्गत प्राप्त वस्तु का तीसरे पक्षकार का वैध हस्तानान्तरण किया जा सकता है, यदि वस्तु के प्राप्तकर्ता ने सद्भावना से वस्तु प्राप्त की है।
8. क्षतिपूर्ति	अर्थ ठहराव के अन्तर्गत किसी भी पक्षकार को प्रायः क्षतिपूर्ति की मांग का अधिकार नहीं कर सकता है।	अर्थनीय अनुबंध के अन्तर्गत पीड़ित पक्षकार को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है यदि वह अनुबंध को अधिकार पूर्वक रद्द करता है।
9. प्रत्यास्थापना	अर्थ ठहराव के दशा में प्रत्यास्थापना का अधिकार तब प्राप्त नहीं होता है जबकि दोनों पक्षकारों को अनुबंध के व्यर्थ होने तथा अवैध होने का ज्ञान था अथवा अनुबंध के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाला अवयस्क था।	सामान्यतः अर्थनीय अनुबंध की दशा में प्रत्यास्थापना का अधिकार मिलता है अर्थात् अनुबंध के रद्द करने पर दोनों पक्षकारों को आपस में प्राप्त लाभों को पुनः लौटाना पड़ता है।

Q:2 समस्त अनुबंध ठहराव होता है किन्तु समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होता है, व्याख्या कीजिए।

Ans. "समस्त अनुबंध ठहराव होते है किन्तु समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होता है" यह कथन बात - प्रतिशत सत्य है। यह कथन अनुबंध तथा ठहराव की प्रकृति में भेद करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार है। इस कथन की व्याख्या करने के लिए इसे दो भागों में बाँटा जा सकता है -

1. समस्त अनुबंध ठहराव है तथा
2. समस्त ठहराव अनुबंध नहीं

1. समस्त अनुबंध ठहराव होता है :-

"भारतीय संविदा अधिनियम की धारा - 2(e) के अनुसार प्रत्येक वचन अथवा वचनों का प्रत्येक समूह जिसमें वचन एक - दूसरे के लिए प्रतिफल होता है, ठहराव कहलाता है।"

स्पष्ट है कि जब कोई प्रस्ताव रखा जाता है उस पर स्वीकृति मिल जाती है तो अनुबंध का ठहराव जन्म जाता है परन्तु इस ठहराव के अन्तर्गत वचनों की प्रकृति कैसी होगी या उनमें वैधता का तत्व होगा या नहीं यह स्पष्ट नहीं है। इसी भी प्रकार के वचनों का आदान-प्रदान करने से पक्षकारों में ठहराव का निर्माण हो सकता है।

धारा 2(h) के अनुसार "राजनियम द्वारा परिवर्तनीय ठहराव अनुबंध कहलाता है।" अर्थात केवल वही ठहराव अनुबंध होता है, जिसे राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय करवाया जा सके। अर्थात किसी ठहराव को राजनियम द्वारा प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता है वह ठहराव स्वयं ठहराव ही बना रहता है। अनुबंध कभी नहीं बनाता है। अनुबंध

कभी न उद्धराव राजनियम द्वारा कभी परिवर्तन करवाया जा सकता है जबकि उसमे वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व हो।

वैध अनुबन्ध के आवश्यक तत्व / लक्षण :-

* दो या दो से अधिक पक्षकारो का होना

1. प्रस्ताव एवं स्वीकृति अर्थात् ठहराव का निर्माण।

2. पक्षकारो के मध्य वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा।

3. पक्षकारो मे अनुबंध करने की क्षमता।

4. समान तथ्यों पर समान अर्थ मे सहमति होना।

5. पक्षकारो की स्वतन्त्र सहमति।

6. वैधानिक प्रतिफल एवं उद्देश्य।

7. निष्पादन की सम्भावना होनी चाहिए।

8. ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहरावो मे से न हो।

9. वैधानिक औपचारिकताओ का पालन।

10.

इस प्रकार स्पष्ट है कि अनुबंध होने के लिए किसी भी ठहराव में वैध अनुबंध के सभी आवश्यक तत्व का होना आवश्यक है। यदि किसी ठहराव मे इनमे से किसी भी लक्षण का अभाव पाया जाता है तो वह ठहराव अनुबंध नही बन सकता है परन्तु, प्रत्येक अनुबंध मे ठहराव के सभी लक्षण अवश्य विद्यमान होते है। अतः प्रत्येक अनुबंध ठहराव अवश्य होता है।

वस्तुतः ठहराव के बिना अनुबंध का जन्म भी नही हो सकता है जिस प्रकार अनुबंध वृक्ष के लिए जड़ का होना आवश्यक है उसी प्रकार अनुबंध के लिए ठहराव का होना आवश्यक है। " अतः हम कह सकते है कि सभी अनुबंध

ठहराव होते हैं।

2.* समस्त ठहराव अनुबंध नहीं है :- इस कथन में कहा गया है कि सभी ठहराव अनुबंध नहीं हो सकते। इसका कारण यह है कि केवल वही ठहराव अनुबंध बन सकते हैं जिन्हें राजनियम द्वारा प्रत्यक्ष परिवर्तित करवाया जा सकता है। व्यवहार में कई ऐसे ठहराव भी होते हैं जिन्हें राजनियम द्वारा परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता है। ऐसे ठहराव केवल ठहराव ही बन रहते हैं अनुबंध नहीं बनते हैं।

ऐसे ठहराव निम्न प्रकार के होते हैं -

1. घरेलू या पारिवारिक ठहराव :- यदि किसी घरेलू या पारिवारिक ठहराव में पक्षकारों का उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना है तो वह ठहराव वैध होगा और अनुबंध कहलायेगा। और यदि नहीं तो वह ठहराव कभी भी अनुबंध नहीं होगा।
Example :- जन्मदिन या सालगिरह पर तोहफा देना।

2. मैत्रीपूर्ण या सामाजिक ठहराव :- पारिवारिक ठहराव के भांति ही सामाजिक ठहरावों में भी कुछ ऐसे ठहराव होते हैं जिन्हें परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता है तथा कुछ ऐसे ठहराव भी होते हैं जिनका उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना होता है ऐसे ठहराव वैध होते हैं और अनुबंध बनते हैं
Example :- संतान गोद लेने का ठहराव, शादी करने का ठहराव।

3. राजनैतिक ठहराव :- ये राजनैतिक ठहराव उनकी उद्देश्य सदस्यों में आपसे में वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं होता

है वह कभी भी वैध अनुबंध का निर्माण नहीं करते है। व ठहराव कभी-कभी लोकनीति के विरुद्ध होने के कारण अवैध हो जाते है। सामान्यत प्रतिफल के बदले एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी मे मिलना अथवा प्रतिफल के बदले मतदान करने को व्यर्थ ही नहीं है बल्कि लोकनीति के विरुद्ध होने के कारण अवैध भी है।

4. व्यापारिक ठहराव :-
जिनका उद्देश्य वैधानिक सबंध स्थापित करना नहीं है यदि ऐसे ठहराव मे इस बात का उल्लेख कर दिया जाये कि इस ठहराव को न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं करवाया जायेगा तो वह ठहराव, ठहराव ही रहेगा अनुबन्ध नहीं बनेगा।

5. अनुबंध करने की क्षमता :-
ऐसे व्यक्तियों द्वारा किये गये ठहराव जिनमे अनुबंध करने की क्षमता नहीं है उनके द्वारा किये गये ठहराव को न्यायालय से परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता है।

6. स्वतन्त्र सहमति के अभाव मे किये गये ठहराव :-
यदि एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार से सहमति उत्पीडन, अनुचित प्रभाव, मिथ्या वर्णन अथवा कपट के आधार पर प्राप्त कि है तो वह सहमति स्वतन्त्र नहीं कही जाता सकती है। तो ऐसी स्थिति मे किया गया ठहराव स्वयंव व्यर्थ होता है।

7. बिना प्रतिफल के ठहराव :-
हमेशा ही व्यर्थ होते है, इन्हे राजनियम द्वारा परिवर्तित नहीं करवाई जा सकती है।

8. अवैधानिक उद्देश्य और प्रतिफल के ठहराव सदैव ही ठहराव वर्जित रहते हैं।

9. विवाह में रुकावट में डालने वाले ठहराव :-
अवयस्क / अविवाहित को छोड़कर किसी भी अन्य अविवाहित व्यक्ति अथवा विधुर या विधवा के विवाह में रुकावट डालने का ठहराव व्यर्थ होता है। ऐसा ठहराव राजनियम द्वारा परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता है अर्थात् अनुबंध नहीं बनता है।

10. अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव

11. बाजी / सट्टा बाजी का ठहराव

12. असम्भव घटना पर आधारित ठहराव

13. भविष्य में अनुबंध करने की ठहराव

Q. 3 अवयस्कों के अनुबंध के संबंध में भारतीय अनुबंध अधिनियम के प्रावधानों को समझाइए।

अथवा

अवयस्क द्वारा किये गये ठहराव के संबंध अवयस्क की स्थिति को संक्षेप में समझाइए [2017]

Ans. अवयस्क द्वारा किये गये ठहराव की प्रकृति एवं उनसे संबंधित प्रावधान निम्नांकित रूप से स्पष्ट है -

1. ठहराव पूर्णतः व्यर्थ :-
एक अवयस्क व्यक्ति के साथ किया गया ठहराव पूर्णतः व्यर्थ होता है। उसके साथ किये गया ठहराव शून्यकरणीय नहीं माना जाता है। ऐसा ठहराव प्रारम्भ से ही व्यर्थ होता है।
[मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष]

2. वचन ग्रहिता एवं लाभ की स्थिति में :-
यदि अनुबंध अवयस्क लाभ या हितधारी की

स्थिति में है तो वह चाहे तो न्यायालय से प्रार्थना करके उसके पक्षकार के विरुद्ध अनुबंध को परिवर्तन करवा सकता है किन्तु, अवयस्क को ऐसे अनुबंध की परिवर्तित न करवाने का अधिकार तभी मिलता है जबकि उसने उस अनुबंध के अधीन अपनी ओर से सम्पूर्ण प्रतिफल दे दिया हो तथा उसकी ओर से किसी भी वचन को पूरा करना शेष न हो। यदि अवयस्क की ओर से अनुबंध करना शेष हो तो वह लाभ की स्थिति में भी अनुबंध को परिवर्तित नहीं करवा सकता है।

3. प्रत्यास्थापना या क्षतिपूर्ति :-

प्रत्यास्थापना का तात्पर्य ठहराव के अन्तर्गत लाभ या प्रतिफल को लौटा देना एवं पक्षकारों का ठहराव से पूर्व की स्थिति में आ जाना। भारत में यह नियम 1963 के बाद से ही अवयस्कों के ठहराव पर भी प्रत्यास्थापना का सिद्धान्त लागू कर दिया गया है।

अतः यदि किसी अवयस्क ने ठहराव के अन्तर्गत दूसरे पक्षकार से लाभ या प्रतिफल लिए प्राप्त किया है तो न्यायालय उसे लौटाने के लिए कह सकता है। [धारा - 33, विशिष्ट आनुतोष अधिनियम - 1963]

4. पुष्टीकरण या अनुसमर्थन सम्भव नहीं :-

एक अवयस्क वयस्कता प्राप्त करने के बाद भी अपने ठहराव की पुष्टि नहीं कर सकता है। इसके पीछे मूल धारणा यह कि किसी व्यर्थ ठहराव का पुष्टिकरण नहीं किया जा सकता है।

5. विनिर्दिष्ट या विशिष्ट निष्पादन नहीं :-
विशिष्ट निष्पादन का तात्पर्य अनुबंध को उसकी शर्तों के अनुसार पूरा करवाना है। ठहराव का विशिष्ट निष्पादन तब ही करवाया जा सकता है जब ठहराव वैध हो।
चुंकि अवयस्क द्वारा किये गये ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ होते हैं, अतः व्यर्थ ठहराव के विशिष्ट निष्पादन का प्रश्न ही नहीं उठता है।

6. अवरोध का सिद्धान्त लागू नहीं :-
एक अवयस्क के साथ अवरोध / प्रत्यर्पण का सिद्धान्त लागू नहीं कर सकता है। यदि कोई अवयस्क मिथ्या वर्णन या कपट के द्वारा स्वयं को वयस्क बताता है और दूसरे पक्षकार के साथ अनुबंध करता है तो अन्य पक्षकार को अनुबंध के निष्पादन (पूर्ण) उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

7. अवयस्क के संरक्षण द्वारा अनुबंध :-
अवयस्क के संरक्षक द्वारा किया गया अनुबंध अवयस्क द्वारा तथा अवयस्क के विरुद्ध परिवर्तित करवाया जा सकता है। यदि ऐसा संरक्षक निम्न शर्तों को लागू होता है -
(i) वह संरक्षक अनुबंध करने की क्षमता रखता है।
(ii) यदि वह अपनी शक्तियों के अन्तर्गत अनुबंध करता है।
(iii) संरक्षक द्वारा किया जाने वाला अनुबंध अवयस्क के हित में है।
(iv) कोई भी अवयस्क का संरक्षक अचल सम्पत्ति स्वरीदने का अनुबंध नहीं कर सकता है।

[मीर सरवजार बनाम फखरुद्दीन के मामले पर आधारित]
किन्तु, अवयस्क के हित के लिए उसकी सम्पतियों को न्यायालयों की अनुमति से बेच सकता है।

8. माता-पिता का दायित्व नहीं :-
अवयस्क के ठहराव के लिए माता-पिता का कोई दायित्व नहीं होता है चाहे वह दायित्व जीवन की आवश्यकता के संबंध में क्यों न हो। परन्तु यदि कोई अवयस्क माता-पिता के एजेन्ट के रूप में कोई अनुबन्ध करता है तो वह उसके दायित्व के लिए उतरदायी होगें।

9. अवयस्क एजेन्ट :-
किसी भी अवयस्क को अपना एजेन्ट नियुक्त करने का अधिकार नहीं होता है क्योंकि अवयस्क अनुबंध नहीं कर सकता है और एजेन्सी का जन्म अनुबन्ध से होता है। किन्तु एक अवयस्क दूसरे व्यक्ति का एजेन्ट बन सकता है इसका प्रमुख कारण यह है कि एजेन्ट द्वारा किये गये कार्यों के प्रति स्वयं नियुक्ता या प्रधान का दायित्व होता है।

10. अवयस्क साझेदार :-
एक अवयस्क कभी भी साझेदारी फर्म का साझेदार नहीं बन सकता है क्योंकि साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है और अवयस्क में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है। किन्तु उसे फर्म के लाभो के लिए साझेदार बना सकता है।

11. अवयस्क के लिए प्रतिभूति - (गारंटी) :-
अवयस्क की कोई भी व्यक्ति गारंटी दे सकता है किन्तु गारंटी देने वाला व्यक्ति वचनदाता के वचन को पुरा करने के बाद भी अवयस्क को (मूल ऋणी) उस वचन के लिए बाध्य नही कर सकता है।

12. अवयस्क अंशधारी :-
अवयस्क को किसी भी कम्पनी के अंश को आबंटित नही किये जा सकते हैं क्योंकि इसमे अनुबंध करने की क्षमता नही है। किन्तु, अवयस्क को पूर्ण प्रदत्त अंश हस्तान्तरित किये जा सकते है।

13. पदधारी तथा अन्य व्यवसाय :-
जयकांत बनाम दुर्गाशंकर के मामले मे गुजरात उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि अवयस्क का वास्तविक संरक्षक अवयस्क सकता है के लिए न तो कोई सम्पत्ति पट्टे पर ले सकता है न कोई व्यवसाय कर सकता है जिससे अवयस्क पर कोई दायित्व उत्पन्न होने की सम्भावना हो।

14. अवयस्क संयुक्त वचनदाता के रूप मे :-
यदि कोई अवयस्क कुछ अन्य वयस्क वचनदाताओं के साथ वचन दाता बन जाता है तो उस अनुबंध मे वयस्क वचनदाता ही उत्तरदायी ठहराये जाते है, अवयस्क को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

15. अवयस्क और दिवालिया अधिनियम :-

अवयस्क को कभी-कभी दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता है चाहे उसके जीवन की आवश्यक, आवश्यकता वस्तु न खरीदी भी हो।

16. अवयस्क और विनिमय साध्य विलेख :-
विनिमय साध्य लिख अभिलेख के अनुसार एक अवयस्क बिल, प्रतिज्ञा-पत्र, चैक लिख सकता है, हस्तान्तरित कर सकता है तथा उनका परक्रामण (Negotiation) भी कर सकता है किन्तु ऐसी अभिलेखों के अप्रतिष्ठित होने पर कोई व्यक्तिगत दायित्व नहीं होगा।

17. अपराध के लिये उत्तरदायी :-
यदि कोई अवयस्क ने अपराध किया है जिससे किसी को व्यक्तिगत अथवा उसकी सम्पत्ति को हानि होती है तो अवयस्क को उसके लिए उत्तरदायी ठहराया जायेगा। अवयस्क भी वयस्कों की तरह ही आक्रमण, माल-हानि, शांति भंग, अतिचार, कपट, गबन आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं। परन्तु यदि कोई अनुबन्ध के कारण अपराध पूर्ण कार्य किये जाते हैं (Contract Killing) तो अवयस्क उत्तरदायी नहीं ठहराये जायेगा। (लेस्तरी बनाम शील के मामले पर आधारित)

18. विवाह का अनुबंध :-
एक अवयस्क द्वारा भविष्य में विवाह करने के लिए किया गया ठहराव व्यर्थ होता है।

19. नौकरी का ठहराव।

20. बंधक अनुबंध (Mortgage) (गिरवी) :-
अवयस्क द्वारा अपनी संपत्ति बंधक रखने का ठहराव व्यर्थ होता है किंतु वह अपने पास किसी दूसरे के प्रतिभूत के बंधक रख सकता है।

अवयस्क को कभी-कभी दिवालिया घोषित नही किया जा सकता है चाहे उसके जीवन की आवश्यक आवश्यकता वस्तु न खरीदी गयी हो।

16. अवयस्क और विनिमय साध्य विलेख :-
विनिमय साध्य विल अभिलेख के अनुसार एक अवयस्क बिल, प्रतिज्ञा-पत्र, चैक लिख सकता है, हस्तान्तरित कर सकता है तथा उनका परक्रामण (Negotiation) भी कर सकता है किन्तु ऐसी अभिलेखो के अप्रतिष्ठित होने पर कोई व्यक्तिगत दायित्व नही होगा।

17. अपराध के लिये उत्तरदायी :-
यदि कोई अवयस्क ने अपराध किया है जिससे किसी को व्यक्तिगत अथवा उसकी सम्पति को हानि होती है तो अवयस्क को उसके लिए उत्तरदायी ठहराया जायेगा। अवयस्क भी वयस्को की तरह ही आक्रमण, मान-हानि, शांति भंग, अतिचार, कपट, गबन आदि के लिए उत्तरदायी होते है। परन्तु यदि कोई अनुबन्ध के कारण अपराध पूर्ण कार्य किये जाते है (Contract killing) तो अवयस्क उत्तरदायी नही ठहराये जायेगा। (लेस्ली बनाम शील के मामले पर आधारित)

18. विवाह का अनुबंध :-
एक अवयस्क द्वारा भविष्य मे विवाह करने को लिए किया गया ठहराव व्यर्थ होता है।

19. नौकरी का ठहराव।

20. बंधक अनुबंध (Mortgage) (गीरवी) :-
अवयस्क द्वारा अपनी संपति बंधक रखने का ठहराव व्यर्थ होता है किंतु वह अपने पास किसी दूसरे के प्रतिफल के बंधक रख सकता है।

21

A 2018

Q:5 अनुबंध समाप्ति से क्या आशय है? अनुबंध समाप्ति के विधियों का वर्णन कीजिए।

Ans: अनुबंध की समाप्ति या निर्वहन का अर्थ :-

जब अनुबंध के दोनों पक्षकार अपने - अपने वचनों का निष्पादन करते है तो अनुबंध समाप्ति की ओर अग्रसर होता है किन्तु यह आवश्यक नही है कि अनुबंध सभी पक्षकार तात्काल अपने अनुबंध का निष्पादन करे। कुछ पक्षकार पुराने अनुबंध के स्थान पर नया अनुबंध कर लेते है।

परिभाषा :-

अनुबंध की समाप्ति से आशय उस स्थिति से है जबकि अनुबंध के पक्षकारो का कोई दायित्व शेष नही बचता है।

दूसरे शब्दो मे, अनुबंध की समाप्ति तब होती है जबकि अनुबंध के पक्षकार अनुबंध के अधीन अपने - अपने दायित्व को पूरा कर देते है अथवा अन्य किसी प्रकार से उन्हे समाप्त कर देते है इसके परिणामस्वरूप पक्षकारो के अनुबंधात्मक संबंध समाप्त हो जाते है।

* अनुबंध समाप्ति की रीतियाँ / विधियाँ :-

I निष्पादन द्वारा समाप्ति :-

अनुबंध का निष्पादन दो प्रकार से होता है —

1. वास्तविक निष्पादन :-

वास्तविक निष्पादन तब होता है जबकि अनुबंध के दोनो पक्षकार अपने - अपने वचनो को पूरा कर देते है अत: अनुबंध पूर्णत: निष्पादित या समाप्त हो जाता है।

१. प्रस्तावित निष्पादन :-
यह तब होता है जबकि अनुबंध में एक पक्षकार अनुबंध के निष्पादन का मात्र वैध प्रस्ताव करे तथा दूसरा पक्षकार उसे निष्पादन प्रस्ताव को स्वीकार कर दे तो ऐसी स्थिति मे प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला अनुबंध के निष्पादन के दायित्व से मुक्त हो जाता है।

II पारस्परिक ठहराव या सहमति द्वारा समाप्ति :-
अनुबंध के दोनो पक्षकार अपने पारस्परिक ठहराव द्वारा भी अनुबंध की समाप्ति करते है तो बाद मे मूल अनुबंध को पूरा करने की आवश्यकता नही रहती है धारा - 62
पारस्परिक ठहराव द्वारा अनुबंध को निम्नलिखित मे से किसी भी विधि से समाप्त किया जा सकता है।

i. नवीनीकरण :-
नवीनीकरण से तात्पर्य अनुबंध के सभी पक्षकारो के सहमति से किसी विद्यमान अनुबंध को नये अनुबंध से प्रतिस्थापित कर लेना जिससे विद्यमान अनुबंध समाप्त हो जाता है।

वैध नवीनीकरण के लिए शर्ते :-
(i) सभी पक्षकारो की सहमति
(ii) कोई अतिरिक्त प्रतिफल होना आवश्यक नही है।
(iii) नवीनीकरण विद्यमान अनुबंध भंग से पूर्व होना चाहिए।
(iv) नवीनीकरण अनुबन्ध वैध होना चाहिए अन्यथा विद्यमान अनुबंध समाप्त नही माना जायेगा।

2. परिवर्तन :-
जब अनुबंध की एक या अधिक शर्तों में आपसी सहमति से परिवर्तन कर दिया जाता है तो उसे परिवर्तन के कारण अनुबंध का समाप्त होना माना जाता है।

3. परिहार या अभिमुक्ति द्वारा :-
इस अवस्था में एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से अपने अधिकारों से कम अधिकारों को स्वीकार करने हेतु सहमत हो जाता है। इसके परिणाम-स्वरूप स्वरूप एक पक्षकार उसके अधिकारों के तुलना में कम प्रतिफल को या निष्पादन को स्वीकार करता है।

4. निरस्तीकरण या विखण्डन द्वारा :-
निरस्तीकरण का तात्पर्य अनुबंध को रद्द समझने से होता है जब अनुबंध के पक्षकार अनुबंध को रद्द समझ लेते हैं तो अनुबंध समाप्त हो जाता है।

5. अभित्याग द्वारा :-
जब अनुबंध के अन्तर्गत अधिकार रखने वाला पक्षकार अपनी इच्छा से बिना किसी प्रतिफल के तथा बिना दबाव किये अपने अनुबंधात्मक अधिकारों को त्याग देता है तो अनुबंध अभित्याग द्वारा समाप्त समझा जाता है।

III. अवधि समाप्त होने पर अनुबंध की समाप्ति :-
यदि अनुबंध के निष्पादन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई हो, लेकिन अनुबंध के पक्षकार उस समय में अनुबंध निष्पादन की मांग

नही करते है तो उस समय के व्यतीत ऐसा अनुबन्ध स्वत: समाप्त माना जायेगा।

IV राजविप्लव के प्रभावी होने से अनुबन्ध की समाप्ति :-
राजनियम के प्रभावी होने से अनुबन्ध निम्नलिखित प्रकार से समाप्त हो जाते है।

1. पक्षकार की मृत्यु हो जाने पर :-
जब अनुबन्ध के निष्पादन मे व्यक्तिगत चातुर्य तथा सद्भावना की आवश्यकता होती है तो ऐसा अनुबन्ध उस पक्षकार की मृत्यु होने पर स्वत: ही समाप्त हो जायेगा। यदि ऐसा नही है तो अनुबन्ध की समाप्ति उसकी उत्तराधिकारी द्वारा कि जायेगा।

2. दिवालिया हो जाने पर :-
जब किसी राजनियम द्वारा किसी पक्षकार को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो वह अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है।

3. विलयन (Merger) :-
जब एक ही व्यक्ति मे उच्च तथा निम्न कोटि के अधिकार केन्द्रित हो जाते है तो उसे विलयन कहते है। ऐसे विलयन के परिणाम स्वरूप ऐसे पक्षकार को उच्चकोटि के अधिकार से मिल जाते है। अत: निम्न कोटि के अधिकारों वाला अनुबन्ध समाप्त हो जाता है।

4. प्रमाणो के नष्ट होने पर :-
जब अनुबन्ध से सम्बन्धित सभी प्रमाण नष्ट हो जाते है तो अनुबन्ध स्वत: ही नष्ट हो जाते है।

V महत्वपूर्ण परिवर्तन द्वारा :-
जब कोई पक्षकार अनुबंध पत्र में दूसरे पक्षकार के सहमति के बिना कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करता है तो ऐसे परिवर्तन के बाद तो दूसरे पक्षकारों को अनुबंध के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण परिवर्तन से आशय ऐसे परिवर्तनों से है जिनके कारण पक्षकारों के दायित्व, अधिकारों तथा उनके वैधानिक स्थिति में मूल अनुबंध की तुलना में।
अनुबंध के खण्डन संबंध में यह बात ध्यान में रखने चाहिए कि कोई ऐसा परिवर्तन किया जाता है, जैसा की पक्षकार स्वयं सोचते है तो वह परिवर्तन वैध होगा और पक्षकार उसे परिवर्तन से बाध्य होंगे।

VI अनुबंध भंग या खण्डन द्वारा समाप्ति :-
अनुबंध भंग से तात्पर्य अनुबंध के पक्षकार द्वारा अनुबंध के अधीन अपने दायित्व / वचनों को पुरा करने से इन्कार करना अथवा पुरा करने में असमर्थ रहना है। जब किसी पक्षकार द्वारा अनुबंध के अंतर्गत उत्पन्न हुये अपने दायित्व को पुरा नहीं करता है तो दूसरा पक्षकार उसे अनुबंध भंग कर सकता है और वे पक्षकार क्षति पुर्ति की मांग कर सकते है।
यह दो प्रकार से हो सकता है।
(1) वास्तविक भंग / खण्डन
(2) प्रत्याशित तथा पूर्वअनुमानित भंग / खण्डन

(1) वास्तविक भंग / खण्डन :-
जब अनुबंध का खण्डन अनुबंध निष्पादित की तिथि अथवा अवधि में किया जाता है तो उसे

अनुबंध का वास्तविक भंग कहा जाता है। इस प्रकार वास्तविक भंग दो प्रकार से होता है-

(i) निष्पादन समय
(ii) निष्पादन अवधि

(i) निष्पादन समय :-
जब अनुबंध के निष्पादन का समय पूर्व निश्चित होता है तथा उस निश्चित समय पूर्व किसी पक्षकार द्वारा अनुबंध का निष्पादन करने से इंकार कर दिया जाता है तो निष्पादन के समय भंग / खण्डन माना जाता है।

(ii) निष्पादन अवधि :-
निष्पादन की अवधि में किसी पक्षकार द्वारा अनुबंध का निष्पादन करने से इंकार कर दिया जाता है या असम्भव हो जाता है तो वास्तविक खण्डन माना जायेगा। यह स्पष्ट / गर्भित हो सकता है।

(2) प्रत्याशित या पूर्वानुमानित भंग / खण्डन :-
जब अनुबंध का एक पक्षकार अनुबंध के निष्पादन के समय से पूर्व ही अनुबंध का निष्पादन करने से मना कर देता है। अथवा वह पक्षकार कोई ऐसा कार्य करता है। जिससे अनुबंध का निष्पादन असम्भव हो जाता है तो इसे प्रत्याशित खण्डन कहा जाता है। इंग्लैण्ड में ऐसे खण्डन को रचनात्मक खण्डन भी कहा जाता है।

2015

Q:5 भारतीय अनुबंध अधिनियम द्वारा व्यर्थ घोषित किये गये ठहराव को संक्षेप में व्याख्या कीजिए।

Ans. वैध अनुबंध के लिए ठहराव की आवश्यक शर्त है कि ठहराव उनमें से नहीं होना चाहिए कि जिन्हें अधिनियम द्वारा व्यर्थ घोषित कर दिया गया है। धारा - 10

व्यर्थ ठहराव वह जो जिसे कानून द्वारा परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता है। धारा - 2 (g)

ऐसे ठहराव पक्षकारो के मध्य किसी प्रकार के विधानिक दायित्वों को उत्पन्न नहीं करते हैं तथा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को वचन के पालन के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। अधिनियम में निम्नलिखित ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित कर दिये है।

I अयोग्य पक्षकार द्वारा किये गए ठहराव [धारा - 11] :- धारा - 11 में निम्नलिखित तीन प्रकार के व्यक्तियों को अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है -

1. अवयस्क
2. अवयस्क मस्तिष्क वाले व्यक्ति
3. राजनियम द्वारा अनुबंध करने के लिए अयोग्य व्यक्ति।

यदि इन तीन प्रकार के पक्षकार द्वारा अनुबंध किया जाता है। तो वह ठहराव व्यर्थ होता है।

II तथ्य से सम्बंधित गलती वाले ठहराव [धारा - 20]

धारा - 20 के अनुसार "जब ठहराव के दोनों पक्षकार ठहराव के किसी भी आवश्यक तथ्यों के संबंध में गलती पर होते है तो। वह ठहराव

व्यर्थ होता है।"

अतः ठहराव तथ्य संबंधित गलती के आधार पर होता है तो वह ठहराव पूर्णतः व्यर्थ हो जाता है।

III विदेशी राजनियम की गलती वाले ठहराव :- जब पक्षकार किसी ठहराव को करते समय किसी दूसरे देश के राजनियम के संबंध में गलती कर बैठते हैं तो ऐसी गलती विदेशी राजनियम से संबंधित गलती कहलाती है।

विदेशी राजानियम के संबंध में गलती के आधार पर किये गये ठहराव पूर्णतः व्यर्थ होते हैं [धारा-21]

IV अवैधानिक प्रतिफल तथा उद्देश्य के ठहराव :- जिन ठहराव का प्रतिफल तथा उद्देश्य अवैधानिक होता है उन्हें अनुबंध अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित कर दिया गया है धारा-23 में निम्नलिखित प्रकार के ठहराव को अवैधानिक उद्देश्य एवं प्रतिफल का माना गया है।

(i) यदि कोई ठहराव राजनियम द्वारा वर्जित है।

(ii) यदि कोई ठहराव इस प्रकार का है कि यदि अनुमति दे दि जाये तो वह किसी राजनियम की व्यवस्थाओं को निष्फल कर देगा।

(iii) वह ठहराव कपटमय है

(iv) यदि उस ठहराव से किसी व्यक्ति या सम्पति को हानि पहुंचती है।

(v) यदि न्यायालय उस ठहराव को अनैतिक समझता है।

iv) यदि इस्लामिक उस ठहराव को लोकनीति के विरोध समझता हो।

V आंशिक रूप से अवैधानिक उद्देश्य एवं प्रतिफल के ठहराव:-
यदि कोई ठहराव आंशिक रूप से वैधानिक और आंशिक रूप अवैधानिक होता है तो ऐसे ठहराव के अवैध भाग वाला ठहराव व्यर्थ होगा।
यदि अलग - अलग किया जा सकता है तो।
यदि अलग - अलग नहीं किया जा सकता है तो सम्पूर्ण ठहराव व्यर्थ होगा।

VI बिना प्रतिफल के ठहराव:-
सामान्यत बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ होते है धारा - 25 के अनुसार कुछ अपवाद जनक परिस्थितियों को छोड़कर बिना प्रतिफल के सभी ठहराव व्यर्थ होते है।

VII विवाह मे रुकावट डालने वाले ठहराव:-
अवयस्क को छोड़ कर किसी भी अविवाहित व्यक्ति के विवाह मे रुकावट डालने वाले ठहराव व्यर्थ होते है। धारा - 26
प्रत्येक वयस्क नागरिक को विवाह करने की स्वतन्त्रता है।

VIII व्यापार मे रुकावट डालने वाले ठहराव:-
भारतीय संविधान द्वारा व्यापार एवं व्यवसाय व पेशे की स्वतन्त्रता का मौलिक अनुबंध अधिकार दिया गया है। इस प्रकार भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा - 27 मे लिखा है प्रत्येक ऐसे ठहराव जिसके द्वारा किसी व्यक्ति

के किसी भी विधि पूर्ण व्यवसाय धंधे तथा व्यापार में रुकावट डाली जाती है तो वह ठहराव व्यर्थ होगा।

IX वैधानिक कार्यवाही में रुकावट डालने वाले ठहराव:-
जब किसी ठहराव का उद्देश्य वैधानिक कार्यवाही में रुकावट डालना होता है तो वह ठहराव व्यर्थ होता है।
संशोधित धारा - 28 (a) में इस संबंध प्रमुख प्रावधान निम्न अनुसार है-

(i) अधिकारी के परिवर्तन पर रोक लगाने वाले ठहराव:-
कोई भी ऐसा ठहराव जिसके द्वारा किसी पक्षकार को साधारण न्यायाधिकरणों में वैधानिक अधिकारी को परिवर्तित करवाने से रोका जाता है तो वह ठहराव व्यर्थ होता है।

(ii) परिवर्तन अवधि को सीमित करने वाले ठहराव व्यर्थ होते हैं - धारा - 28 (a)

(iii) ऐसे ठहराव जो किसी पक्षकार के अधिकारों में एक विशिष्ट अवधि समाप्त होने के बाद समाप्त कर देता है तो ठहराव व्यर्थ होगा धारा - 28 (b)

X बाजी का ठहराव:-
सर विलियम एन्सन के मतानुसार "बाजी का ठहराव वह होता है जिसमें किसी अनिश्चित घटना के निश्चित हो जाने या निर्णीत हो जाने पर धन या धन का मूल्य देने की प्रतिज्ञा होती है।" न्यायाधीश हॉकिन्स के अनुसार, " बाजी लगाने का

ऐसे ठहराव वह ठहराव है जिसमें दो व्यक्ति किसी अनिश्चित घटना के विषय विपरीत विचार रखते हुये पारस्परिक यह ठहराव करते है।

XI अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव :-
जब ठहराव इस प्रकार की होगी उनका अर्थ निश्चित न हो अथवा उनका अर्थ निश्चित नहीं किया जा सकता हो तो ऐसे ठहराव अनिश्चित अर्थ वाले होते है। ऐसे ठहराव भ्रामक, संदेह स्पष्ट प्रकृति के होते है अथवा व्यर्थ होते है धारा-29 किन्तु यदि किसी ठहराव का परिस्थितियों के अनुसार अर्थ निश्चित किया जा सकता है तो ठहराव वैध माना जायेगा।

XII असम्भव भावी घटना पर आधारित ठहराव :-
यदि कोई ठहराव किसी असम्भव घटना पर आधारित होने पर करता है तो वह ठहराव व्यर्थ होगा चाहे ऐसी घटना की असम्भावना की जानकारी ठहराव करते समय पर क्यों न हो। (धारा - 36)

XIII असम्भव कार्य को करने के ठहराव :-
"भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा-56 के अनुसार, "ऐसा ठहराव व्यर्थ होता है जो किसी ऐसे कार्य को करने के लिए हो जो प्रारम्भ से ही असम्भव है।"

यदि भविष्य मे कुछ घटनाओ के घटित होने या राजनियम मे परिवर्तन होने के कारण कोई ठहराव पूरा नहीं किया जा सकता है तो ऐसा ठहराव असम्भावना के आधार पर व्यर्थ हो जाता है।

किन्तु यदि ऐसी असम्भवता भौतिक या वैधानिक कारणों से हो सकती है किन्तु यदि आर्थिक कारणों से कोई ठहराव पूरा करना असम्भव होता है तो ऐसा ठहराव व्यर्थ नहीं होगा।

Q:6 "बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ होते हैं" इस कथन की व्याख्या कीजिए। क्या इस कथन के कोई अपवाद हैं?

Ans. भारतीय संविदा अधिनियम की धारा-25 में लिखा है कि बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ माना जाता है अतः प्रत्येक अनुबंध में प्रतिफल होना आवश्यक है। प्रतिफल के अभाव में जुए के समान समझा जाता है और व्यर्थ होता है।

Salmond and Winfield के अनुसार, "प्रतिफल के अभाव में दिया गया वचन भेंट होता है जबकि प्रतिफल वाला वचन एक सौदा होता है।"

Anson के मतानुसार, "प्रत्येक सामान्य अनुबंध के लिए प्रतिफल आवश्यक है प्रतिफल के ठहराव अप्रवर्तनीय होता है।"

न्यायधीश डेनिंग के अनुसार, "अनुबंध के निर्माण के लिए प्रतिफल आवश्यक है।"

* नियम के अपवाद :- धारा-25 के अधिनियम के कुछ अपवाद बताए गए हैं।

1. स्वाभाविक प्यार एवं स्नेह के परिणाम स्वरूप अनुबन्ध —

जब अनुबन्ध किन्हीं निकट सम्बन्धियों से स्वाभाविक प्यार एवं स्नेह के अनुरूप होता है और वह अनुबन्ध लिखित एवं रजिस्टर्ड होता है तो ऐसा अनुबन्ध बिना प्रतिफल वैध होता है [धारा-25(1)]

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अनुबन्ध बिना प्रतिफल के भी वैध हो सकता है।

यदि अनुबन्ध लिखित है।
(i) यदि अनुबन्ध रजिस्टर्ड है।
(ii) उस दूसरे व्यक्ति ने पहले व्यक्ति की आंशिक या पूर्ण क्षतिपूर्ति करने का वचन दिया हो।
(iii) यदि वह अनुबन्ध निकट सम्बन्धियों के बीच किया गया है।
(iv) यदि वह अनुबन्ध प्रकृति या स्वाभाविक प्यार और स्नेह से प्रेरित होकर किया गया है।

2. स्वेच्छा से किये गये कार्यों की क्षतिपूर्ति के लिए किये गये अनुबन्ध —

जब किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के लिए स्वेच्छा से कुछ कार्य किया हो वह दूसरा व्यक्ति वैधानिक रूप से बाध्य था और परिणामस्वरूप दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति की सेवाओं की पूर्ण या आंशिक क्षतिपूर्ति करने के लिए अनुबन्ध करता है तो ऐसा अनुबन्ध प्रतिफल के अभाव में भी वैध होगा।

यह अनुबन्ध निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने पर वैध होता है —

(i) एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ कार्य किया हो
(ii) उसने वह कार्य स्वेच्छा से किया है।
(iii) उस दूसरे व्यक्ति ने पहले व्यक्ति की आंशिक या पूर्ण क्षतिपूर्ति करने का वचन दिया हो।

(vi) वचन दाता (दूसरा पक्षित) वचनग्रहीता द्वारा (पहला पक्षित) कार्य करने के समय वयस्क होना चाहिए।

3. काल बाधित ऋणो के भुगतान के लिए अनुबन्ध :—

कोई भी ऋणदाता अपने ऋणी से कालबाधित ऋण वसूल करने का वैधानिक अधिकार नही रखता है। किन्तु, यदि कोई ऋणी अथवा उसका एजेन्ट उसकी ओर से किसी कालबाधित ऋण का आंशिक या पूर्ण भुगतान करने के लिए ऋणदाता से लिखित हस्ताक्षर युक्त अनुबन्ध कर लेता है तो ऐसा अनुबन्ध भी वैध माना जाता है। [धारा 25(3)]

दूसरो शब्दो में ऋणी तथा उसके एजेन्ट द्वारा कालबाधित ऋण के भुगतान का अनुबन्ध किया जाता है तो वह वैध होता है। किन्तु, ऐसे अनुबन्ध मे निम्नलिखित बातो का ध्यान रखना आवश्यक है—

1. अनुबन्ध स्पष्ट होना चाहिए न कि गर्भित।
2. अनुबन्ध लिखित व हस्ताक्षरयुक्त होना चाहिए।
3. अनुबन्ध आंशित या पूर्ण भुगतान के लिए हो।
4. अनुबन्ध शर्तरहित या शर्तसहित हो सकता है।
5. अनुबन्ध ऋणी अथवा उसके एजेन्ट द्वारा किया जा सकता है।
6. वह ऋण जिसके भुगतान का अनुबंध किया गया हो, वैध होना चाहिए।

4. भेट जो वास्तव मे दे दि गई है :—

भेट जो वास्तव में दी गई हो पर प्रतिफल के अभाव का उसकी वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः एक बार भेट दी गई सम्पत्ति को इस आधार पर व्यर्थ नहीं कहा जा सकता है कि उसके लिए कोई

मूल्यवान प्रतिफल नहीं था।

5. दान देने के अनुबंध (Donation) :—

दान दे दिया तथा ले लिया गया हो तो वह अनुबंध निष्पादित हो सकता है उसकी वैधता को चुनौति नही दी जा सकती है किन्तु,

यदि भविष्य मे दान या चदां देने का कोई अनुबन्ध किया जाता है तो उस अनुबन्ध को तब ही परिवर्तन करवाया जाम सकता है। जबकि दान के वचन ग्रहीता ने दान प्राप्त के आशा मे कोई दायित्व उत्पन्न कर लिए हो।

दान का वचन ग्रहीता ऐसे उत्पन्न किये गये दायित्व की सीमा तक दान दाता को दान देने के लिए बाध्य कर सकता है।

6. ऐजेन्सी :—

अधिनियम की धारा - 85 एजेन्सी के अनुबन्ध में प्रतिफल का होना अनिवार्य है। बिना प्रतिफल के भी अनुबन्ध की वैधानिक रूप से परिवर्तन करवाया है।

7. निः शुल्क निक्षेप (Gratuition) :—

निक्षेप दो प्रकार का होता है —

1. सशुल्क
2. निशुल्क

निशुल्क निक्षेप में प्रतिफल नहीं होता है फिर भी निक्षेप ग्रहीता निक्षेपी को अनुबन्ध का वैधानिक रूप से परिवर्तित करवाने का अधिकार होता है।

Paper – II

Unit – II

Q. 1 निक्षेप क्या है ? माल पाने वाले के क्या अधिकार एवं कर्तव्य है ? (2016)

Ans. निक्षेप अर्थ एवं परिभाषा :-

निक्षेप शब्द अंग्रेजी के Bailment हिंदी रूपान्तरण है। जिसकी उत्पत्ति फ्रेन्च भाषा के Bailmam Ior शब्द हुई। Bailor का अर्थ है – सुपुर्दगी देना (To Deliver)

अतः निक्षेप अनुबन्ध वह है जो किसी वस्तु की सुपुर्दगी से उत्पन्न होता है।

धारा – 148 के अनुसार, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी उद्देश्य से इस अनुबन्ध पर माल सुपुर्द करता है कि उस निश्चित उद्देश्य के पूरा हो जाने पर उस माल की सुपुर्दगी देने वाले को माल वापस लौटा दिया जायेगा अथवा उसके निर्देशानुसार उस माल की व्यवस्था कर दि जायेगी तो ऐसी अनुबन्ध को निक्षेप अनुबन्ध कहते हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि निक्षेप का अनुबंध जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति अपनी वस्तु इस शर्त पर सौंपता है कि वह एक निश्चित उद्देश्य पूरा होने पर वह उसे वस्तु को वापस लौटा देगा अथवा उसके कह अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को देगा।

इस अनुबन्ध में जो माल सुपुर्द करता है उसे निक्षेपी या निक्षेपकर्ता (Bailor) तथा जो वस्तु प्राप्त करता है। निक्षेपग्रहीता (Bailee) कहते है।

Example :- अन्ना बन्ना से एक पुस्तक एक सप्ताह के लिए माँग लेता है।

Example :- अंतू बंतू को एक वीडियो केसट देखने को देता है तथा बंतू उसे देखने के बाद सन्ता के पास पहुंचा है।

Example :- अन्ता बन्ता अपना स्कूटर दिल्ली पहुंचाने के लिए बन्ता की कम्पनी को सौंपता है।

Example :- गाडी रिपेयर हेतु देना, सूट सिलवाने हेतु देना।

यह सही निक्षेप अनुबन्ध है इसमे अन्ता निक्षेपी तथा बंतू निक्षेपग्रहीता तथा कभी-कभी सन्ता उप-निक्षेपग्रहीता (Sub Bailee) होता है।

निक्षेपग्रहीता के अधिकार :-

निक्षेपग्रहीता के अधिकार निम्नलिखित है :-

1. माल के अपकट दोषो से उत्पन्न हानि की पूर्ति :-

यदि निक्षेपी ने माल के दोषो को प्रकट नहीं किया है तो निक्षेपी ग्रहीता को उन सभी हानियों की पूर्ति निक्षेप से करने का अधिकार है जो ऐसे माल के दोषो से उत्पन्न हुई है।

2. माल का अधिकृत प्रयोग करना :-

निक्षेपग्रहीता को माल का निक्षेप की शर्तो के अनुसार प्रयोग करने का अधिकार होता है।

3. निक्षेपी की सहमति से माल को मिलाना :-

निक्षेपग्रहीता निक्षेपी की सहमति से अपने माल को

अपने माल में मिलाने का अधिकार रखता है।

4. आवश्यक व्ययों को प्राप्त करने का अधिकार :—

यदि निक्षेपग्रहीता को निक्षेप अनुबन्ध के अंतर्गत कोई पारिश्रमिक अथवा शुल्क नहीं मिलता है तो उसे निक्षेपित वस्तु के सम्बन्ध में किये गये सभी आवश्यक व्यय प्राप्त करने का अधिकार है। [धारा - 158]

5. निक्षेपी के अधिकारों में कमी से उत्पन्न हानि की पूर्ति :—

निक्षेपग्रहीता को निक्षेपी के अधिकारों में कमी के परिणामस्वरूप किसी भी प्रकार की हानि हो जाती है तो वह उस हानि की पूर्ति करवाने का अधिकार रखता है

6. किसी भी सहनिक्षेपी को माल सौंपने का अधिकार :—

एक निक्षेपग्रहीता को अधिकार है कि वह किसी भी सह-निक्षेपी को माल सौंप सकता है अथवा किसी एक सह-निक्षेपी के निर्देशानुसार किसी को माल सौंप सकता है यदि अनुबंध में कोई विपरित बात नहीं कही हुई हो। [धारा - 165]

7. माल पर दूषित स्वामित्व की दशा में सद्भाव माल लौटाने का अधिकार :—

यदि निक्षेपी माल पर अच्छा स्वामित्व नहीं और निक्षेपग्रहीता ने निक्षेपी को अथवा उसके निर्देशानुसार सद्विश्वास से माल लौटा दिया हो तो वह माल के स्वामी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। [धारा - 166]

8. अन्य व्यक्ति के स्वामी होने पर माल रोकने का अधिकार :-
यदि निक्षेपी के अन्तर्गत अन्य कोई व्यक्ति आकर निक्षेपगृहीता से निक्षेपित मामले पर दावा करता है तो वह न्यायालय को माल रोकने तथा वास्तविक स्वामी को निश्चित करने की प्रार्थना कर सकता है (धारा-167)

9. ग्रहणाधिकार :-
निक्षेपगृहीता को अपने पास निक्षेपित माल तब तक रोकने का अधिकार होता है जब तक की निक्षेपी उसके वस्तु के सम्बन्ध में बताया आवश्यक खर्च, असाधारण व्यय तथा पारिश्रमिक अथवा शुल्क का भुगतान नहीं कर देता है यह बात ध्यान देने योग्य है कि निक्षेपकर्ता निक्षेपगृहीता को विशिष्ट ग्रहणाधिकार ही होता है सामान्यत ग्रहणाधिकार नहीं (धारा 170)

10. तृतीय पक्षकार के विरुद्ध अधिकार :-
यदि कोई तृतीय पक्षकार अथवा अन्य व्यक्ति दोषपूर्ण रूप से निक्षेपगृहीता को उसके पास निक्षेपित माल को उपयोग मे लेने अथवा अधिकार से वंचित करता है तथा हानि पहुंचाता है तो ऐसे निक्षेपगृहीता को वह सभी उपचार प्राप्त होते है जो ऐसी वस्तु के स्वामी को सामान्य परिस्थितियों मे प्राप्त होता है ऐसी स्थिति मे निक्षेपगृहीता अथवा निक्षेपी ऐसी तृतीय पक्षकार के विरुद्ध न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर सकता है (धारा - 180)

11. क्षतिपूर्ति की राशि मे से हिस्सा प्राप्त करना :-
यदि तृतीय पक्षकारा द्वारा निक्षेपित वस्तु के अधिकार अथवा उपयोग मे किसी प्रकार की अड़चन पैदा करने के परिणाम स्वरूप उस पर कोई वाद प्रस्तुत

किया जाता है और वाद के अन्तर्गत किसी भी प्रकार क्षतीपूर्ति की राशी मिलती है तो निक्षेपगृहीता तथा निक्षेपी को अपने-अपने हितों के अनुसार हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होगा। [धारा - 181]

★ निक्षेपग्रहीता निक्षेपग्रहीता के कर्तव्य या दायित्व :—

1 माल की उचित देखभाल करना :—

प्रत्येक निक्षेपीत निक्षेपग्रहीता का कर्तव्य है कि वह माल की उचित देख रेख करे। चाहे निक्षेप सशुल्क है अथवा निशुल्क है सभी स्थितियों में एक निक्षेपग्रहीता को माल की उतनी ही सावधानी से देखभाल करनी चाहिए जितनी की समान मे साधारण दूरदर्शिता वाला व्यक्ति उतनी ही मात्रा गुण अथवा मूल्य के अपने माल की करता है। [धारा - 151]

2. देख रेख मे उपेक्षा करने पर क्षतीपूर्ति करना :—

यदि कोई निक्षेपग्रहीता किसी निक्षेपीत वस्तु की देखरेख करने मे उपेक्ष करता है तो ऐसी उपेक्ष से माल के खोने अथवा नष्ट होने पर निक्षेपग्रहीता को निक्षेपी की क्षतिपूर्ति करनी होगी। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि यदी निक्षेपगृहीता के नौकरी की उपेक्षा से भी निक्षेपीत वस्तु को कोई क्षती पहुँचती है तो भी निक्षेप ग्रहीता को क्षतीपूर्ति करनी पड़ेगी। [धारा - 152]

यह बात उल्लेखनीय है कि किसी निक्षेप अनुबन्ध के अंतर्गत निक्षेपी द्वारा निक्षेपग्रहीता को इस धारा [152] के अन्तर्गत उसके दायित्व से आंशिक या पूर्ण रूप से

मुक्त नहीं किया जा सकता है। किसी भी अनुबन्ध के अन्तर्गत निक्षेपग्रहीता को उसकी लापरवाही से होने वाली हानि से आंशिक अथवा पूर्ण रूप से मुक्त नहीं कर सकता है [मुहम्मद सखा बनाम ब्रिटिश इंडिया नेवीकेशन के मामले में]

3. निक्षेप के शर्तों के विरुद्ध कार्य न करना :—

निक्षेपग्रहीता का यह भी कर्तव्य है कि वह निक्षेप की शर्तों के विरुद्ध कार्य ना करे। यदि वह निक्षेप की शर्तों के विरुद्ध कार्य करेगा तो निक्षेपी की इच्छा पर ऐसा निक्षेप अनुबन्ध शून्यकरणीय हो जायेगा। [धारा-153]

4. अनाधिकृत उपयोग की क्षति की पूर्ति :—

यदि कोई निक्षेपग्रहीता निक्षेपित वस्तु का निक्षेप की शर्तों के विरुद्ध उपयोग करता है और उससे उस वस्तु को क्षति पहुंची है तो निक्षेपग्रहीता ऐसी क्षतिपूर्ति करने हेतु उत्तरदायी है। [धारा-154]

5. निक्षेप के मामले को अपने माल में नहीं मिलाना :—

निक्षेपग्रहीता का एक कर्तव्य यह भी है कि उसे निक्षेपी के मामले को अपने माल में नहीं मिलाना चाहिए किन्तु, यदि माल को अपने माल में मिला दिया जाता तो निम्न लिखित स्थितियाँ होगी।

i) यदि माल निक्षेपी की सहमति से मिल जाता है तो तो निक्षेपी तथा निक्षेपग्रहीता का ऐसा माल में अपना - अपना माल की मात्रा के अनुपात में हित होगा। [धारा-155]

(ii) यदि माल निक्षेपी की सहमति बिना मिलाया जाता है तथा माल को पृथक् अलग-अलग किया जाता है तो दोनों पक्षकार अपने-अपने माल के अधिकारी होंगी। इसी प्रकार माल मिलने तथा बोने के खर्च तथा हानियों का दायित्व निक्षेपग्राहीता को होगा [धारा -156]

(iii) यदि निक्षेपगाहीता निक्षेपी के बिना सहमति के उसके माल को अपने माल में मिला देता है जिससे बाद माल को पुनः अलग-अलग करना संभव न हो तो निक्षेप गहीता का कर्तव्य है कि वह सम्पूर्ण माल की क्षतिपूर्ति करेगा [धारा -157]

6. माल लौटाना :—

निक्षेपग्रहीता का एक आधारभूत कार्य यह भी माना जाता है कि उस निक्षेप की अवधि समाप्त होने अथवा निक्षेप का उद्देश्य की अवधि समाप्त पूरा होने के बाद तत्काल स्वत्व निक्षेपी के बिना मांगे लौटा देना चाहिए अथवा निक्षेपी के निर्देशानुसार उसकी व्यवस्था कर देनी चाहिए [धारा -160]

किन्तु कोई भी निक्षेपग्रहीता निम्नलिखित दशाओं में माल लौटाने के उत्तरदायी नहीं होता है।

(i) यदि निक्षेपी के अंतर्गत कोई व्यक्ति माल पर दावा करता और न्यायालय उसे उस माल को रोक कर रखने के लिए कहता है। [धारा -167]

(ii) यदि निक्षेपी माल को किसी सरकारी अधिकारी ने किसी कानून के अंतर्गत जब्त कर लिया हो।

(iii) यदि निक्षेपी निक्षेप माल उद्देश्य की पूर्ति करने में अयोग्य सिद्ध हो।

7 माल नहीं लौटाने पर क्षतिपूर्ति का दायित्व :—

यदि निक्षेपगृहीता निश्चित उद्देश्य के पूरे होने पर अथवा निश्चित अवधि के समाप्त होने पर माल नहीं लौटाता है तो इसके बाद माल मे होने वाली प्रत्येक क्षति कमी अथवा माल के खोने के लिए निक्षेपगृहीता स्वयं उत्तरदायी होता है। [धारा - 161]

8. वृद्धि या लाभ को वापस करना :—

किसी भी विपरित अनुबन्ध के ना होने पर यह भी निक्षेपगृहीता का एक कर्तव्य है कि वह निक्षेपी की वस्तु मे कोई वृद्धि / लाभ को लौटा देगा। [धारा - 163]

9. किसी सह-स्वामी को माल लौटाना :—

यदि किसी माल के अनेक सह-स्वामी होते है तो निक्षेपगृहीता किसी विपरित ठहराव के अभाव किसी भी सह स्वामी को अथवा उसके निर्देशानुसार माल को लौटा सकता है। इस हेतु सभी सहस्वामियों की अनुमति की आवश्यकता है। [धारा - 165]

10 विपरित स्वामित्व न जमाना :—

निक्षेपगृहीता का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य यह है कि माल को निक्षेपगृहीता के रूप मे अपने अधिकार मे बनाये रखे, ना कि स्वामी के रूप मे उसे अपनी इच्छा से किसी अन्य व्यक्ति को माल हस्तान्तरित नहीं करना चाहिए तथा बेचना भी नहीं चाहिए। [धारा - भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा - 117]

2018 2016

Q:2. एक एजेन्ट का अपने प्रधान नियुक्त के प्रति अधिकार एवं कर्तव्य का वर्णन कीजिए। [2017]

Ans 2. एक एजेन्ट का अपने प्रधान के प्रति कर्तव्य :—

सामान्यतः एजेन्ट तथा प्रधान के कर्तव्य तथा अधिकार उनके अनुबन्ध द्वारा निर्धारित या कर दिये जाते हैं।

किन्तु, एजेन्ट तथा प्रधान के बीच सम्बन्ध स्थापित होने मात्र से ही कुछ कर्तव्य उत्पन्न हो जाते हैं। यह कर्तव्य निम्नानुसार होते हैं —

1. आदेशानुसार कार्य करना :—

प्रत्येक एजेन्ट का यह कर्तव्य होता है कि वह प्रधान के आदेशानुसार ही एजेन्सी के व्यवसाय का संचालन करे यदि जाते तो एजेन्ट को प्रथा, प्रस्तुति के अनुसार व्यवसाय का संचालन करना चाहिए।

यदि एक एजेन्ट स्वेच्छानुसार संचालन करता है तो हानि के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा तथा लाभ प्रधान को सौंपना होगा।

2. उचित सावधानी एवं परिश्रम से ~~रस्म~~ कार्य करना :—

धारा-122

3. हिसाब रखना तथा प्रस्तुत करना :—

एजेन्ट का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य यह भी है कि उसे एजेन्सी के कार्य सम्बंधी सभी हिसाब रखना चाहिए तथा प्रधान के माँगने पर प्रस्तुत कर देना चाहिए। धारा-213

4. कठिनाई में प्रधान से सम्पर्क करना :- तथा निर्देश प्राप्त करने में उचित तत्परता बरतनी चाहिए। [धारा-214]

5. अपने नाम से व्यवसाय न करना :— एजेन्ट को अपने नाम से कोई व्यापार या लेनदेन नहीं करना चाहिए किन्तु वह प्रधान की पुर्व अनुमति से कोई भी व्यापार कर सकता है किन्तु यदि प्रधान की पुर्व अनुमति या जानकारी के बिना एजेन्ट कोई भी कार्य करता है तो प्रधान ऐसी एजेन्सी अनुबन्ध को समाप्त कर सकता है [धारा - 215]

6. गुप्त लाभों को प्रकट करना :— यदि एजेन्ट बिना प्रधान की जानकारी या पुर्व अनुमति के व्यापार करता है और उससे लाभ कमाता है तो ऐसे गुप्त लाभों को प्राप्त का अधिकार प्रधान को होता है।

7. प्रधान की ओर से प्राप्त राशि को देना :— एजेन्ट का कर्तव्य है कि प्रधान की ओर से प्राप्त राशि प्रधान को दे दे किंतु यदि एजेन्ट का कोई खर्चा / कमीशन बकाया है तो वह उस राशि में से काट सकता है [धारा - 217, 218]

8. प्रधान की मृत्यु तथा पागल होने की स्थिति में उसकी हितो की रक्षा करना :— तो एजेन्ट का कर्तव्य है कि उसको सौंपे गये हितो की रक्षा के लिए अपने प्रधान के उत्तराधिकारी की ओर से सभी उचित कदम उठाया [धारा - 209]

9. प्राप्त सूचनाओं प्रधान के विरुद्ध प्रयोग ना करना :—

यदि वह ऐसी सूचनाओं का प्रधान के हितो के विरुद्ध प्रयोग करता है और उसे प्रधान को हानि होता है तो वह एजेन्ट को ऐसी हानि की पूर्ति हेतु उत्तरदायी ठहरा सकता है।

10. दुराचरण से क्षति की पूर्ति :— यदि कोई एजेन्ट अपने एजेन्सी के कार्यो मे कोई दुराचारण करता है तो उससे होने वाली हानि पूर्ति एजेन्ट को करनी होती है। [धारा - 220]

11. स्वामित्व स्थापित नहीं करना :—

12. अधिकारो का ~~प्रतियोजन~~ प्रति प्रत्योजन नहीं करना :— जब तक नियुक्ता द्वारा स्पष्ट अधिकार नहीं किए जाए अथवा व्यापारिक प्रथा एवं कार्यो के प्रकृति के अनुसार नहीं हो तब तक एक एजेन्ट को अपने अधिकारो का प्रतियोजन नही करना चाहिए। [धारा - 190]

13. हितो के ठकराव से बचना :— एजेन्ट को अपने प्रधान के हितो से ठकराव नही करना चाहिए उसे अपने आप को ऐसी स्थिति में रखना चाहिए जिससे होनो के हितो से किसी प्रकार का टकराव न हो।

14. उप-एजेन्ट के कार्यो के लिए दायित्व उठाना :— यदि मूल एजेन्ट ने उचित रूप से उप-एजेन्ट की नियुक्ति की है तो उसे उसके कार्यो के लिए प्रधान के प्रति दायित्व ग्रहण करना चाहिए यदि उसने अनुचित रूप से उप-एजेन्ट की नियुक्ति की है तो उस प्रधान तथा तृतीय

पक्षकार दोनो के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। [धारा - 153]

15. मिथ्यवर्णन / कपट पर कर्तव्य :-

यदि कोई एजेन्ट अपने अधिकारो के बाहर कार्य करते हुये कपट / मिथ्यावर्णन करता है तो वह अपने प्रधान के प्रति भी उत्तरदायी होता है। [धारा - 238]

* एजेन्ट के अधिकार :-

1. प्राप्त धन में से कटौती का अधिकार :-

एजेन्ट को अधिकार होता है कि वह प्रधान की ओर प्राप्त राशि में से वह राशि काट ले जो उसने प्रधान को अन्तिम रूप से दी है जो उसने व्यापार मे खर्ची किया है तथा जो उसका कमीशन बकाया है। [धारा - 217]

2. पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार :-

एजेन्ट का वह महत्वपूर्ण अधिकार यह है कि वह अपने प्रधान से निश्चित किया हुआ पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार रखता है। यदि पारिश्रमिक निश्चित नहीं किया गया हो तो वह कार्य की प्रकृति के अनुसार उचित पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार रखता है परन्तु उसे अपना पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार तभी होगा जबकि उसने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया हो या एजेन्ट के प्रयासो से एजेन्सी का कार्य पूरा हो गया है। [धारा - 219]

यदि पारिश्रमिक प्राप्त करने की शर्तें निश्चित है तो एजेन्ट को पारिश्रमिक प्राप्त करने का तब तक

अधिकार नहीं होता है जब तक कि वह उन शर्तों को पूरा नहीं कर देता है :-

पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा :-

(i) यदि एजेन्ट ने एजेन्सी के व्यापार में दुराचरण किया है तो वह कार्य के उस भाग के लिए पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखता। [धारा - 220]

(ii) जब एजेन्सी के कार्य के लिए प्रतिफल नहीं दिया गया हो।

3. ग्रहणाधिकार :-

किसी विपरीत अनुबन्ध के अभाव में एजेन्ट अपने प्रधान की अपने अधिकार में रखी हुई वस्तुओं, कागजात तथा अन्य किसी सम्पति (अचल - चल) को तब तक रोक कर रख सकता है जब तक की एजेन्ट को उसका कमीशन उसके द्वारा किया गया खर्च तथा अन्य सेवाओं के बकाया रकम का भुगतान नहीं कर दिया जाता है। [धारा - 221]

यह बात स्मरणीय है कि एजेन्ट को केवल विशिष्ट ग्रहणाधिकार ही मिलता है अतः केवल उन्हीं बकाया राशियों के लिए ही उसकी सम्पति को रोक सकता है जो उस माल या सम्पति की सबंन्ध मे होती है। किन्तु, प्रधान एवं एजेन्ट के बीच के स्पष्ट अनुबन्धो से एजेन्ट को सामान्य ग्रहणाधिकार भी दिया जा सकता है।

4. क्षतिपूर्ति करवाने का अधिकार :-

एजेन्ट अपने अधिकारो के अन्तर्गत किये गये सभी वैध कार्यों से हुई हानियों के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार रखता है। [धारा - 222]

किन्तु, यह भी ध्यान रहे की यह अधिकार अवैध कार्यों के करने से उत्पन्न हानियों के सम्बन्ध में नहीं मिलता है। [धारा - 224]

5. तृतीय पक्षकार को दि गई क्षतिपूर्ति की राशि को प्राप्त करना :—

यदि कोई एजेन्ट अपने अधिकारों के अन्तर्गत पूर्ण रूप से सद्भाव के साथ कार्य करता है फिर भी किसी तीसरे पक्षकार को क्षति पहुँची है और एजेन्ट को उसकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है तो एजेन्ट अपने प्रधान से ऐसी क्षतिपूर्ति की राशि पुर्ण प्राप्त कर सकता है। [धारा - 223]

6. प्रधान की उपेक्षा से हुई हानि की पूर्ति :—

यदि प्रधान की उपेक्षा अथवा अयोग्यता से एजेन्ट को कोई हानि होती है तो एजेन्ट अपने प्रधान से उस हानि की पूर्ति करवा सकता है। [धारा - 225]

7. माल को मार्ग मे रोकने का अधिकार :—

एक एजेन्ट को अपने प्रधान का माल मार्ग मे रोकने का अधिकार निम्नलिखित दो परिस्थितियों मे प्राप्त होता है।

(i) यदि एजेन्ट ने माल प्रधान के लिए अपने धन/दायित्वो से माल खरीदा हो तो ऐसी स्थिति मे एजन्ट माल को मार्ग मे रोक सकता है अथवा

(ii) यदि प्रधान ने किसी तृतीय पक्षकार को एजेन्ट के दायित्व पर माल उधार बेचा हो तो माल को मार्ग मे रोक सकता है।

इन उपर्युक्त परिस्थितियों में एजेन्ट की स्थिति अदत्त - विक्रेता के समान हो जाती है। इसलिए उस प्रधान का माल मार्ग में रोकने का अधिकार मिल जाता है।

8. समस्त वैधानिक आधिकृत कार्य करना। [धारा-188]

9. संकट काल में सभी आवश्यक कार्य करना। [धारा - 189]

10. व्यापार की परम्परा के अनुसार सभी कार्य करना।

11. गर्भित अधिकारों के अन्तर्गत आने वाले सभी कार्य।

12. उप-एजेन्ट तथा स्थानापन्न एजेन्ट नियुक्त करना [धारा - 190 से 194]

13. उचित सूचना देकर एजेन्सी अनुबन्ध से मुक्त होना। [धारा - 201]

14. अवधि से पूर्व प्रधान द्वारा एजेन्सी समाप्त करने पर क्षतिपूर्ति प्राप्त करना। [धारा - 205]

Q. 3. "गिरवी रखने" की परिभाषा दीजिये तथा गिरवीग्राही के अधिकार एवं कर्तव्य बताइए।

Ans. "गिरवी रखने की परिभाषा":— भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की धारा -172 के अनुसार "जब किसी माल का निक्षेप किसी ऋण अथवा वचन के पालन के लिए प्रतिभूतियों के रूप में किया जाता है, उसे गिरवी कहते हैं।

इस परिभाषा से स्पष्ट है कि गिरवी का अनुबन्ध एक विशेष प्रकार का अनुबन्ध है। जब किसी माल का निक्षेप किसी ऋण के भुगतान अथवा किसी अनुबन्ध के पालन के लिए प्रतिभूतियाँ या जमानत हेतु किया जाता है तो, उसे गिरवी कहते हैं।

गिरवी के अनुबन्ध मे जो व्यक्ति अपने वस्तु गिरवी रखता है तो उसे गिरवी रखने वाला अथवा "गिरवीकर्त्ता या पणयमकार" (Pawnor) तथा जिस व्यक्ति के पास इस प्रकार का माल गिरवी रखा जाता है तो उसे गिरवी रखने वाला पणयमदार या गिरवीग्राही कहते हैं।

★ गिरवीग्राही के अधिकार:—

1. माल पर ग्रहणाधिकार:— गिरवीग्राही का पेहला अधिकार यह है कि वह गिरवीरखते हुए माल को निम्नांकित के लिए रोक कर रख सकता है।

(i) ऋण के भुगतान का वचन के निष्पादन के लिए।

(ii) ऋण पर देय ब्याज के भुगतान के लिए।
(iii) माल को रखना या सुरक्षित रखने के लिए किया गया खर्च के भुगतान के लिए [धारा - 173]

2. बाद में लिए गये ऋण के लिए माल को रोकने का अधिकार:—
जब मालकर्ता गिरवीग्राही से और ऋण लेता है तो गिरवीग्राही को किसी विपरित अनुबन्ध के अभाव मे यह अधिकार है कि वह इस बाद वाले ऋण का भुगतान होने तक माल को रोक सकता है। [धारा - 174]

3. असाधारण व्यय प्राप्त करने का अधिकार:—
गिरवीग्राही ने गिरवी रखते हुए माल के सम्बन्ध मे किसी प्रकार के असाधारण व्यय किया है तो वह गिरवीकर्ता से इन व्ययों को भी प्राप्त कर सकता है। [धारा - 175]

किन्तु उस असाधारण व्यय के लिए ग्रहणाधिकार नहीं होता है।

4. गिरवीकर्ता पर वादा प्रस्तुत करना:—
यदि गिरवीकर्ता अपने ऋण का भुगतान या वचन का पालन नहीं करता है तो गिरवीग्राही उस पर वाद प्रस्तुत कर सकता है इसके साथ ही वह गिरवी रखे माल को प्रमानात के रूप में रोक के भी रख सकता है। [धारा - 175(1)]

5. माल का विक्रय करना:—
यदि गिरवीग्राही गिरवीकर्ता पर वाद प्रस्तुत नहीं करना चाहता है तो गिरवी माल का विक्रय

भी कर सकता है किन्तु उसकी उचित सूचना गिरवीकर्ता को देने के लिए बाध्य – (176)

6. शेष राशि प्राप्त करने का अधिकार :—

यदि माल बेचने से गिरवीग्राही के सम्पूर्ण ऋण राशि का भुगतान नहीं हो पाता है तो गिरवीग्राही शेष देय राशि को गिरवी कर्ता से वसूल कर सकता है।

7. वास्तविक स्वामी के विरुद्ध अधिकार :—

यदि गिरवीकर्ता माल का वास्तविक स्वामी नहीं है तो वह व्यर्थहीन अनुबन्ध के अन्तर्गत प्राप्त माल (उत्पीड़न, अनुचित, प्रभाव, कपट, मिथ्या-वर्णन के अधिकार पर प्राप्त माल) को गिरवी रख देता है तथा गिरवी रखने के समय तक पीड़ित पक्षकार को उस अनुबन्ध का खण्डन नहीं करता है तो गिरवीग्राही को माल के वास्तविक स्वामी के विरुद्ध अच्छा अधिकार प्राप्त हो यह अच्छा अधिकार तभी प्राप्त होगा जब उसने माल पूर्ण सद्‌भाव के साथ गिरवी रखा हो दोषयुक्त स्वामी का ज्ञान न हो। (धारा – 178(A))

गिरवीग्राही के कर्तव्य :—

1. उचित देख-रेख :—

गिरवी ग्राही को गिरवी रखे गये माल की उचित देखरेख करनी चाहिए। उचित देखरेख का आशय है उतनी देख-रेख अवश्य करनी चाहिए। जितनी की एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति सामान्य मूल (गुण, मात्रा) वाली नीजि वस्तु की करता है।

2. निजी उपयोग मे न लेना :—
गिरवीग्राही को गिरवी रखी वस्तु को अपनी निजी उपयोग में नहीं लेना चाहिए।

3. वस्तु को अपने लिए नही खरीदना :—
गिरवीग्राही व्यक्ति का यह भी कर्तव्य है कि यदि गिरवीकर्ता ऋण का भुगतान नही करता है तो उस गिरवी वस्तु को स्वयम् को नही खरीदना चाहिए उस वस्तु को बाजार स्वय मे बेचकर उसका उचित मूल्य प्राप्त करना चाहिए।

4. अतिरिक्त राशि को लौटाना :—
यदि गिरवीग्राही को अपने ऋण के भुगतान के लिए गिरवी वस्तु को बेचना पड़े तो प्राप्त राशि में से अपने को अपलिखित करने के बाद शेष राशि गिरवीग्राही को लौटा देना चाहिए।

5. माल वापस करना :—
गिरवीग्राही का एक कर्तव्य यह भी है कि जब उसका बकाया ऋण ब्याज तथा आवश्यक खर्च मिल जाये तो उसे समस्त समस्त माल / वस्तु को गिरवीकर्ता को लौटा देना चाहिए।

6. अपने माल मे नही मिलाना :—
गिरवीग्राही को गिरवी रखे गये माल को अपने निजि माल में नही मिलाना चाहिए जबकि गिरवीकर्ता ने अपनी सहमती ना दे दी हो।

7. शर्तानुसार कार्य करना :—
गिरवीग्राही को गिरवी के अनुबन्ध के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए जब गिरवी के शर्तों के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए

8. असाधारण व्ययों के लिए वस्तु को ना रोकना :—
गिरवीग्राही का एक वैधानिक कर्तव्य यह है कि इस गिरवी के माल सम्बन्ध में हुए असाधारण व्ययों के लिए माल को नहीं रोकना चाहिए।

9. वृद्धि या गर्भ को वापस करना :—
यदि गिरवी रखे माल में वृद्धि हो जाती है तो किसी विपरीत अनुबन्ध के अभाव में उस माल में हुए वृद्धि या गर्भ को लौटाने का कर्तव्य होता है।

A 2019

Q. 4. एजेन्सी की परिभाषा दीजिए। यह किस प्रकार स्थापित होती है और इसकी समाप्ति किस प्रकार होती है? यह कब अखण्डनीय होती है। (2015)

Ans. एजेन्सी की परिभाषा एवं अर्थ :—

एजेन्सी एजेन्ट तथा प्रधान के बीच पाये जाने वाले सम्बन्ध को ही एजेन्ट कहते है

विस्तृत अर्थ मे एजेन्सी एजेन्ट तथा प्रधान के बीच एक सम्बन्ध है जिसका जन्म स्पष्ट या गर्भित ठहराव द्वारा होता है जिसके द्वारा प्रधान एजेन्ट को अपनी ओर से अन्य पक्षकारों के साथ व्यवहारों मे उसकी प्रतिनिधित्व करने तथा अने अन्य पक्षकारों के साथ अपना (प्रधान का) अनुबन्धात्मक सम्बन्ध स्थापतित स्थापित करने के लिए अधिकृत करता हो,

महेरा, चन्द्र, वसु बनाम राधा किशोर भट्टाचर जी मामले मे कलकत्ता उच्च न्यायालय मे लिखा है "एजेन्ट का सार यह बताता है कि प्रधान अपने एजेन्ट को अधिकार देता है कि वह अपने प्रधान का अन्य व्यक्ति को साथ अनुबन्धात्मक सम्बन्ध स्थापित करें।

* एजेन्सी का निर्माण या स्थापना :—

एजेन्सी की स्थापना निम्नलिखित विधियों द्वारा हो सकती है।

1. स्पष्ट ठहराव द्वारा :—

जब लिखित / मौखिक रूप से शब्दो का उच्चारण

करके एजेन्ट की नियुक्ति कि जाती है तो उसे स्पष्ट ठहराव द्वारा एजेन्सी कहते है। [धारा-187]

2. गर्भित ठहराव द्वारा :-

ऐसी एजेन्सी की स्थापना पक्षकारों के व्यवहार अथवा आचरण द्वारा होती है [धारा-187]
ऐसी एजेन्सी कभी केवल पक्षकारों के बातचीत, व्यवहार तथा दिन-प्रतिदिन के कार्य से भी हो सकती है।
सामान्य शब्दों मे यह कहा जा सकता है कि जब कोई पक्षकार दूसरे पक्षकार से बहुत लम्बे समय से कोई ऐसा व्यवहार करता है कि जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि दोनो में एजेन्ट तथा प्रधान का सम्बन्ध है तो इस प्रकार के सम्बन्ध को ही गर्भित ठहराव द्वारा एजेन्सी कहते है।

3. विबन्ध या गत्यावरोध द्वारा :-
विबन्ध/गत्यावरोध का कर्तव्य है इनकार करने से रोकना।
कभी-कभी कोई प्रधान अपने आचरण से किसी अन्य व्यक्ति के मस्तिष्क मे यह छाप छोड़ देता है कि या विश्वास करने देता है कि कोई विशिष्ट व्यक्ति उसका एजेन्ट है तब विबन्ध/गत्यावरोध द्वारा एजेन्सी का जन्म होता है।

4. प्रदर्शन द्वारा एजेन्सी :-
जब कोई व्यक्ति (प्रधान) अपने आचरण/कार्य द्वारा बिना किसी आपत्ति के अपने एजेन्ट के रूप में कार्य करने देता है।

तथा अन्य पक्षकारो को यह विश्वास करने देता है कि वह एजेन्ट उसके अधिकार के अधिन कार्य करता है तो प्रदर्शन द्वारा एजेन्सी का जन्म हो जाता है।

5. आवश्यक द्वारा एजेन्सी की स्थापना :-

जब संकटकालिन स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है ऐसी स्थिति मे दोनो पक्षकार के बिच आवश्यकता के परिणाम स्वरुप एजेन्सी उत्पन्न हो सकती है। [धारा - 189] के अनुसार संकटकालिन परिस्थिति में प्रधान को हानियो से बचाने के लिए एजेन्ट वह सभी कार्य कर सकता है जो एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति सामान्य परिस्थितियों मे अपने निजी माल को बचाने में करता है।

6. पुष्टिकरण द्वारा एजेन्सी स्थापना करने के लिए :-

पुष्टिकरण द्वारा एजेन्सी उस समय स्थापित होती है जब कोई व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति की ओर से तथा उसी के नाम से अपने स्वेच्छा से कोई कार्य कर लेता है तो वह दूसरा व्यक्ति उसकी पुष्टि कर देता है इस प्रकार दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के कार्य की पुष्टि कर उसे एजेन्ट के रुप मे स्वीकार कर लेता है इसलिए इसे "Exhost facto Agency" के नाम से भी जाने है।

7. राजनियम के प्रभाव से एजेन्सी की स्थापना :-
राजनियम के लागू होने सही एजेन्सी की की स्थापना हो जाती है।

Example :- साझेदारी फर्म मे सभी साझेदार एक-दूसरे के एजेन्ट होते है। कम्पनी का प्रबंधक संचालक भी अपनी अधिकार सत्ता मे कम्पनी का एजेन्ट बन जाता है।

★ एजेन्सी की समाप्ति :-

एजेन्सी की समाप्ति निम्न दो मुख्य तरीको से की जाती है।

1. पक्षकारो के कार्यो द्वारा समाप्ति
2. राज नियम के लागु होने से समाप्ति

1. पक्षकारो के कार्यो द्वारा समाप्ति :-

(i) प्रधान द्वारा एजेन्ट के अधिकारो का खण्डन करने पर :-

यदि किसी प्रधान द्वारा एजेन्ट के कार्यो प्रारम्भ करने से पूर्व या बाद मे सुचना देकर अधिकारो का खण्डन कर देता है तो एजेन्सी समाप्त हो जाती है। इस हेतु एजेन्ट / प्रधान पर अनुबन्ध भंग करने हेतु बाद प्रस्तुत कर सकता है (धारा - 203)

(ii) एजेन्ट द्वारा खण्डन :-
धारा - 206

(iii) आपसी ठहराव द्वारा :-

जब प्रधान एवं एजेन्ट आपस मे मिलकर कि एजेन्सी को समाप्त कर दि जाये तो इस ठहराव के लागू होने पर एजेन्सी समाप्त हो जाती है।

2. राज नियम लागू होने से समाप्ति :—

निम्न परिस्थितियो में राज नियम लागू होने से एजेन्सी समाप्ति हो सकती है।

1. अनुबन्ध के निष्पादन द्वारा एजेन्सी के कार्य के समाप्त होने से एजेन्सी स्वतः ही समाप्त हो जाती है।
2. अवधि समाप्त हो जाने पर।
3. किसी एक पक्षकार की मृत्यु होने पर।
4. किसी एक पक्षकार के पागल होने पर।
5. ~~ससथा~~ संस्था के समाप्त पर।
6. प्रधान के दिवालिया होने पर।
7. एजेन्सी के मूल तत्व नष्ट होने पर
8. एजेन्सी के कार्य अवैधानिक होने पर
9. जब प्रधान विदेशी स शत्रु हो जाता है।

★ यह कब अखण्डित अखंडनीय होती है :—

निम्नलिखित एजेन्सी को अखण्डित / समाप्त नहीं किया जा सकता —

अखण्डनीय एजेन्सी वह एजेन्सी है। जिसका प्रधान द्वारा अपनी स्वेच्छा से खण्ड नही किया जाता है।

1. यदि एजेन्सी मे एजेन्ट का हित निहित हो :—

यदि एजेन्सी की विशेष वस्तु / सम्पति एजेन्ट का हित निहित हो तो उस हित के विरुद्ध उस एजेन्सी को किसी स्पष्ट अनुबन्ध के बिना समाप्त नही किया जा सकता है ऐसी हित युक्त एजेन्सी प्रधान की मृत्यु पागल पन की स्थिति मे भी

समाप्त नही होती है।

एजेन्सी केवल दोनो पक्षकारो के बीच स्पष्ट अनुबन्ध के द्वारा ही समाप्ति की जा सकती है। [धारा - 202]

2. यदि एजेन्ट ने अधिकारो का आंशिक उपयोग कर लिया हो :—

तो प्रधान उस एजेन्सी के अन्तर्गत किये गये कार्यो से उत्पन्न दायित्व के सम्बन्ध मे एजन्ट का अधिकारो खण्डन नही कर सकता है [धारा :- 204]

3. यदि एजेन्ट ने अनुबन्ध मे अपना व्यक्तिगत दायित्व उत्पन्न कर लिया हो :—

यदि एजेन्ट ने अपने अधिकारो के अन्तर्गत प्रधान के लिए कार्य करते हुए किसी अनुबन्ध द्वारा अपना व्यक्तिगत दायित्व उत्पन्न कर लिया हो प्रधान उस एजेन्ट के अधिकारो का खण्डन नही कर सकता है।

माल विक्रय अनुबंध अधिनियम. 1930

माल विक्रय अधिनियम 1930 यह अधिनियम 15 March 1930 को बदबनकर तैयार हुआ जिसे 1 July 1930 को लागू कर दिया गया।

अर्थ एवं परिभाषा :-

माल विक्रय अधिनियम के अनुसार" माल विक्रय अनुबंध एक ऐसा अनुबन्ध है जिसके अन्तर्गत विक्रेता मूल्य के किसी वस्तु या माल का हस्तान्तरित करने का ठहराव करता है। धारा 4(1)

प्रश्न- एक माल विक्रय अनुबन्ध को परिभाषित कीजिए? तथा विक्रय अथवा विक्रय के ठहराव में अन्तर बताइए। (Q:1.) 2017

उत्तर- एक माल विक्रय अनुबन्ध पर "माल विक्रय अधिनीयम 1930 लागू होता है" यह अधिनियम July 1930 से लागू किया गया था।

माल विक्रय से तात्पर्य " विक्रेता, क्रेता को बेचने का प्रस्ताव देता है क्रेता उस पर अपनी सहमति प्रकट करता है तो यह विक्रय का ठहराव कहलाता है तत्पश्चात् विक्रेता माल का स्वामित्व क्रेता को हस्तान्तरित करता है तथा क्रेता माल के बदले प्रतिफल मुद्रा भुगतान करता है तो यह माल विक्रय अनुबंध कहलाता है।"

माल विक्रय अधिनियम 1930 के अनुसार :- माल विक्रय अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसके अन्तर्गत विक्रेता मूल्य के बदले कि वस्तु या माल का स्वामित्व क्रेता को हस्तानान्तरित करता है अथवा हस्तानान्तरित करने का पत्र ठहराव करता है। धारा 4(1) के अन्तर्गत।

विक्रय की परिभाषा :-

माल विक्रय अधिनियम कि धारा 4(3) के अनुसार जब विक्रय अनुबंध के अनुसार माल के स्वामित्व को विक्रय विक्रेता से क्रेता को हस्तानान्तरित किया जाता है तो उस अनुबंध को विक्रय कहते हैं।

विक्रय का ठहराव :-

माल विक्रय अधिनियम कि धारा 4(3) के अनुसार जब माल के स्वामित्व का हस्तान्तरण भविष्य में किस तिथि को अथवा कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद किया जाता है तो वह अनुबन्ध विक्रय का ठहराव कहलाता है।

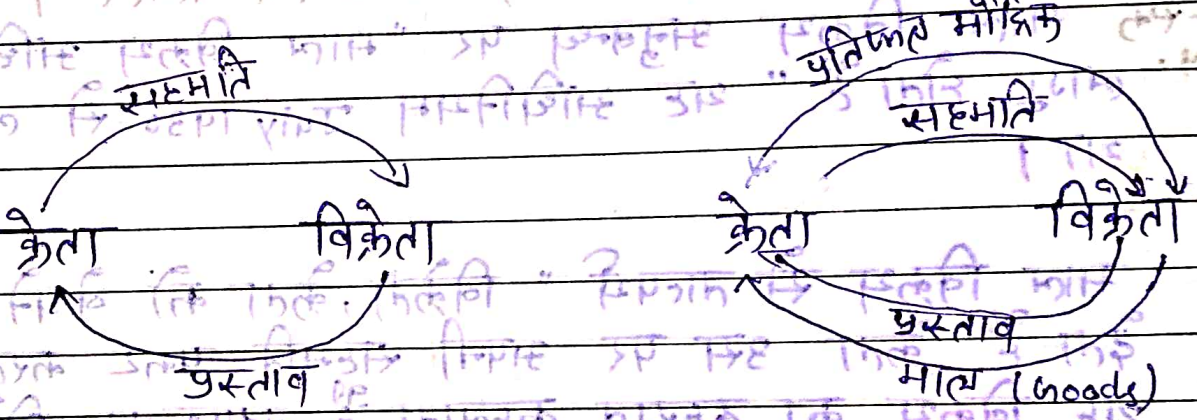

विक्रय का ठहराव → विक्रय अनुबन्ध

विक्रय व विक्रय के ठहराव में अन्तर

आधार	विक्रय	विक्रय का ठहराव
1. प्रकृति	विक्रय अनुबन्ध का निष्पादन पहले ही हो जाता है दूसरे शब्दो मे यह एक निष्पादित या पूर्ण अनुबन्ध होता है।	विक्रय का ठहराव का निष्पादन होना शेष रहता है अतः यह निष्पादनिय (अपूर्ण) अनुबन्ध है

2. स्वामित्व का हस्तान्तरण	माल का स्वामित्व अनुबन्ध होते ही तुरन्त क्रेता के पास चला जाता है।	इसमें माल का स्वामित्व तत्काल न होकर एक अवधि के पश्चात् अथवा कुछ शर्तों के पूर्ण होने पर हस्तान्तरण होता है।
3. माल का प्रकार	विक्रय की दशा मे माल निश्चित होता है।	ठहराव की दशा मे माल अनिश्चित भी हो सकता है।
4. अधिकार	इसमे क्रेता को वस्तु का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त होता है वह समस्त विश्व के विरुद्ध वस्तु का प्रयोग कर सकता है।	यह क्रेता एक साधारण शुद्ध ठहराव है जिसके अनुसार केवल क्रेता और विक्रेता को ही एक-दूसरे के विरुद्ध कर्तव्य भंग कि दशा मे वाद प्रस्तुत करने का अधिकार होता है।
5. शर्त	विक्रय में माल के हस्थान्तरण कि शर्त नहीं होती है	विक्रय का ठहराव शर्त सहित होता है
6. मूल्य के लिए वाद	इसमे क्रेता मूल्य न दे तो विक्रेता उससे मूल्य वसूल के लिए अभियोग चला सकता है।	इसमें केवल हट जाने का दावा चलाया जा सकता है मूल्य वसूल करने का नही।
7. अदत्त विक्रय की दशा में	विक्रय की दशा में विक्रेता को मूल्य का भुगतान नही मिलने पर उसे वे सभी अधिकार मिल जाते है जो अदत्त विक्रेता को प्राप्त होते है।	इसमे केवल अनुबन्ध भंग कर क्रेता के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने का ही अधिकार होता है।
8. जोखिम (Risk)	माल का विक्रय हो जाने पर माल की क्षति (हानि) का जोखिम क्रेता पर होता है।	विक्रय के ठहराव मे जोखिम विक्रेता की ही होती है।

9. विक्रेता का दिवालिया होना	इसमे विक्रेता के होने कि दशा मे क्रेता उस के नामांकित व्यक्ति से भी माल प्राप्त करने का अधिकार रखता है क्योंकि वह माल का स्वामी होता है।	ऐसी दशा में क्रेता माल पाने का अधिकारी नही रहता है वह केवल अपने आनुपातिक अंश के लिए दावा कर सकता है।
10. क्रेता का दिवालिया होना	क्रेता के दिवालिया होने कि दशा में विक्रेता को क्रेता द्वारा माल उसके नामांकित व्यक्ति के हवाले करना होगा विक्रेता केवल आनुपातिक अंश प्राप्त कर सकेगा।	ऐसी स्थिति में विक्रेता क्रेता को माल देने से इन्कार कर सकता है यदि उसे पूर्व भुगतान नही दिया जाता है।
11. माल का पुनःविक्रय	विक्रय की दशा मे क्रेता माल का पुनः विक्रय से कर सकता है।	विक्रय के ठहराव कि दशा में माल के पुनः विक्रय में कठिनाई आती है क्योंकि विक्रेता द्वारा अनुबन्ध भंग कर देने पर पुनः विक्रय के ठहराव को पूरा करना कठिन हो जाता है।

प्रश्न-दो

Q.2. विक्रय अनुबन्ध क्या है? इसके आवश्यक लक्षणों / तत्वों का वर्णन कीजिए ?

Ans. उत्तर-दो माल विक्रय अनुबन्ध पर "माल विक्रय अधिनियम 1930 लागू होता है यह अधिनियम July 1930 से लागू किया गया था।

माल विक्रय से तात्पर्य विक्रेता, क्रेता को माल बेचने का प्रस्ताव देता है क्रेता उस पर अपनी सहमति प्रकट करता है तो यह विक्रय का ठहराव कहलाता है तत्पश्चात् विक्रेता माल का स्वामित्व क्रेता को हस्तान्तरित करता है तथा क्रेता माल के बदले प्रतिफल मूल्य भुगतान करता है तो माल विक्रय अनुबंध कहलाता है।

माल विक्रय अधिनियम 1930 के अनुसार :—

माल विक्रय अनुबंध ऐसा अनुबंध है जिसके अन्तर्गत विक्रेता मूल्य के बदले किसी वस्तु या माल का स्वामित्व क्रेता को हस्तानान्तरण किया जाता है तो उस अनुबंध को विक्रय कहते है।

विक्रय का ठहराव :—

माल विक्रय अधिनियम की धारा-4(3) के अनुसार जब माल के स्वामित्व का हस्तानान्तरण भविष्य में किसी तिथि को अथवा कुछ शर्तों को पूरा के करने के बाद किया जाता है तो वह अनुबंध विक्रय का ठहराव कहलाता है।

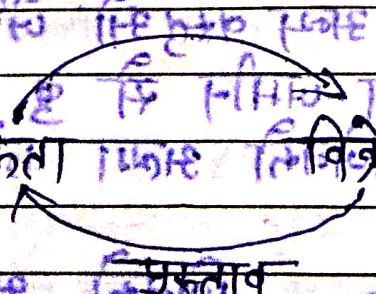

विक्रय का ठहराव

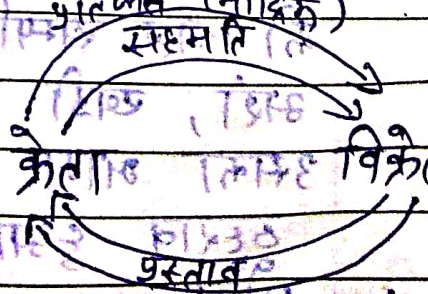

विक्रय अनुबन्ध

विक्रय अनुबन्ध के तत्व / लक्षण :-

विक्रय अनुबन्ध के निम्नलिखित तत्व / लक्षण होते है।

1. दो पक्षकारो का होना (क्रेता और विक्रेता) :-

विक्रय अनुबन्ध में दो पक्षकारो का होना अनिवार्य होता है। दो अलग पक्षकार होने पर ही एक व्यक्ति माल खरीद सकता है तथा दुसरा बेच सकता है एक व्यक्ति तथा पक्षकार स्वम न तो माल खरीद सकता है न ही बेच सकता है।

क्रेता :-

क्रेता वह व्यक्ति होता है जो व्यवस्तु का क्रय करता है या क्रय करने के लिए अपनी सहमति प्रकट करता है।

विक्रेता :-

विक्रेता वह व्यक्ति होता है जो माल को बेचता है या बेचने के लिए प्रस्ताव प्रकट करता है। माल

2. माल (Goods) :- विक्रय अनुबन्ध मे माल या वस्तुओं का होना अतन्त आवश्यक है। माल का आशय हर प्रकार की चल सम्पति से है साथ ही अन्य वस्तुओ जैसे - स्टॉक अंश, खड़ी फसले, घास तथा जमीन से जुड़ी या उसका भाग बन रही चीजे जिनको अलग करने का ठहराव हुआ है।

प्लेस :- Machinery, Tree-Plants जिनको अलग-अलग किया जा सके।

माल में वह योग्य दावे प्रचलन या चलन में मुद्रा को शामिल नहीं किया जाता है किन्तु पुरानी व अप्रचलित मुद्रा या सिक्के जो प्रचलन से बाहर हो चुके हैं को माल की परिभाषा में शामिल किया गया है।

3. प्रतिफल :—

वैध अनुबन्ध के लिए प्रतिफल का होना अत्यन्त आवश्यक है, तथा प्रतिफल का भुगतान हमेशा प्रचलित मुद्रा में ही किया जाना चाहिए, यदि प्रतिफल का भुगतान मुद्रा के अलावा किसी माल या वस्तु के रूप में किया जाता है तो वह प्रतिफल या अनुबन्ध अवैध माना जायेगा।

के अनुसार प्रतिफल का भुगतान आंशिक रूप से मुद्रा में तथा आंशिक रूप से वस्तु या माल के रूप में किया जा सकता है।

⇒ विद्यमानमाल :—

विद्यमान माल वह माल है जो विक्रय अनुबंध के समय मौजूद है तथा विक्रेता के स्वामित्व या कब्जे में है।

⇒ भावी माल :—

वे वस्तु जिनका निर्माण, स्वं अधिकांश विक्रेता द्वारा विक्रय अनुबंध के पश्चात् किया जाता है भावीमाल में हमेशा विक्रय का ठहराव होता है न कि विक्रय अनुबन्ध।

4. स्वामित्व का हस्तान्तरण :—

विक्रय अनुबन्ध के अन्तर्गत विक्रेता द्वारा माल का स्वामित्व क्रेता को हस्तान्तरित किया जाता है माल के स्वामित्व

हस्तान्तरण तत्काल या भविष्य में किसी तिथि को किया जा सकता है विक्रय अनुबंध में माल के अधिकार का हस्तांतरण होता है केवल गिरवी अनुबंध मे ही विशेष स्वामित्व का हस्तानान्तरण होता है केवल गिरवी अनुबंध मे ही विशेष स्वामित्व का हस्तानान्तरण होता है फलत : गिरवी ग्राहक का स्वामित्व उसके हित तक ही सीमित होता है जबकि विक्रय की दिशा मे उस: माल का पूर्ण हित होता है

5. स्वतंत्र सहमति :—

विक्रय अनुबन्ध मे दोनो पक्षकारो की स्वतंत्र सहमति का होना अति आवश्यक है बिना स्वतंत्र सहमति से किया गया प्रत्येक ठहराव विक्रय अवैध माना जायेगा किसी ठहराव के अन्तर्गत किसी उत्पादक द्वारा अपने सम्पूर्ण उत्पादित माल को अपने उत्पादक संघ को अनिवार्यत : आन्तरित करना विक्रय ही होता है क्योंकि इसमे उत्पादक संघ के प्रत्येक सदस्य कि स्वतन्त्र सहमति होती है।

[Coffee Board V/S Commissioner of Commercial Taxes AIR (1988-1989)]

6. विक्रय अनुबन्ध में भावी विक्रय शामिल है :—

विक्रय अनुबन्ध एक विस्तृत शब्द है जिसमे न केवल भविष्य मे माल बेचने का अनुबन्ध शामिल है बल्कि वर्तमान मे माल का विक्रय अनुबन्ध भी शामिल है।

7. सशर्त या शर्त रहित :—

माल विक्रय अनुबन्ध मे विक्रय शर्त सहित या शर्त रहित हो सकता है शर्त सहित विक्रय अनुबन्ध मे शर्त पूरा होने पर ही विक्रय अनुबन्ध एक वैध अनुबन्ध माना जायेगा अथवा नही।

8. औपचारिकताओं का पालन :—

विक्रय अनुबन्ध की धारा 5 के अनुसार विक्रय अनुबन्ध मे कुछ औपचारिकताओ का पालन करना होता है जिनका उल्लेख निम्न प्रकार से है :—

(i) माल क्रय या विक्रय का प्रस्ताव :—

विक्रय अनुबन्ध मे एक पक्षकार माल बेचने का प्रस्ताव रखता है तथा दूसरा पक्षकार माल क्रय करने हेतु उस पर अपनी सहमति प्रकट करता है। धारा - 5(1)

(ii) माल (Good's) :—

पक्षकारो के मध्य किसी माल का क्रय विक्रय होना अति आवश्यक है माल विद्यमान, भावी, सांयोगिक, माल हो सकते है

(iii) स्वीकृति :—

माल के क्रय तथा विक्रय कि अन्य पक्षकारो द्वारा स्वतन्त्र स्वीकृति या शर्त रहित स्वीकृति दी जानी चाहिए।

(iv) सुपुर्दगी :—

विक्रय अनुबंध मे माल की सुपुर्दगी के समय विधि का उल्लेख होना चाहिए अनुबंध मे माल की तत्काल सुपुर्दगी, भावी सुपुर्दगी अथवा किस्तो में सुपुर्दगी की व्यवस्था की जाती है धारा 5(1)

(v) लिखित, मौखित या गर्भित :—

माल विक्रय अनुबन्ध लिखित, मौखिक अथवा गर्भित हो

सकता है यह अशत: लिखित अशंत मौखिक भी हो सकता है यह गर्भित भी हो सकता है जिससे पक्षकारों के आचरण अथवा सांगत्यिक परिस्थितियों से समझा जा सकता है किन्तु उपर्युक्त प्रकार से अनुबन्ध तभी किया जा सकता है जब किसी अधिनियम में अन्यथा व्यवस्था नही हो। धारा 5 (2)

(VI) वैध अनुबंध के अन्य तत्व :-

इन सभी तत्वो के अतिरिक्त एक वैध अनुबंध के सभी तत्व विक्रय-अनुबंध मे भी पाये जाने आवश्यक है

प्रश्न-3 तीन

Q.3 शर्त व आश्वासन मे अन्तर बताइए ? भारतीय माल विक्रय अधिनियम के अनुसार कौन-कौनसी गर्भित शर्ते है ? उदाहरण दीजिए।

अथवा

भारतीय वस्तु विक्रय अधिनियम के अनुसार कौन-कौन सी गर्भित शर्ते होती है ?

उत्तर-तीन
Ans 3. शर्त व आश्वासन मे अन्तर :-

शर्त अनुबंध का आधार होती है जबकि आश्वासन अनुबंध के उद्देश्य मे सहायक के रूप मे होती है इन दोनो अन्तर करते हुए लिखा है कि शर्ते किसी भवन के मुख्य स्तम्भो की तरह है जिन पर सम्पूर्ण विशालकाय भवन टिका हुआ होता है इन मुख्य स्तम्भो मे से किसी एक के टूट जाने पर सम्पूर्ण भवन धाराशयी हो जाता है जबकि आश्वासन उन सहायक स्तम्भो की श्रृंखला है जो किसी मुख्य स्तम्भ श्रृंखला के समान्तर खडी रखी है जिनमे से किसी एक के टूट जाने से भवन धारासायी नही होता है बल्कि थोडी हानि उठानी पडती है

शर्त व आश्वासन में अन्तर को निम्न तालिका से विस्तार से स्पष्ट किया गया है

अंतर का आधार	शर्त	आश्वासन
1. प्रकृति	शर्त, अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक होती है।	आश्वासन, अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए समपार्श्विक व सहायक होता है।

2. महत्व	शर्त, अनुबंध के अस्तित्व के लिए अतिमहत्वपूर्ण है उसको पूरा न होने पर अनुबंध पूरा नही माना जाता है।	आश्वासन का अनुबन्ध के लिए विशेष महत्व नही होता है उसके पूरा न होने पर भी अनुबन्ध पूरा हुआ माना जाता
3. उपचार या परिणाम	शर्त बन्ध होने की दशा मे क्रेता अनुबंध को भंग समझ सकता है तथा विक्रेता से चुकाया गया मूल्य या क्षति-पूर्ति प्राप्त कर सकता है	आश्वासन भंग होने की दशा में केवल क्रेता क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है।
4. स्वत्व व स्वामित्व का हस्तानान्तरण	शर्त के पालन के बिना स्वत्व का हस्तान्तरण नही किया जा सकता।	आश्वासन का पालन किये बिना ही स्वत्व का हस्तान्तरण किया जा सकता है।
5. शर्त भंग व आश्वासन भंग	शर्त भंग को आश्वासन भंग माना जा सकता है और अनुबन्ध को प्रवर्तित करवाया जा सकता है।	आश्वासन भंग को शर्त भंग नही माना जा सकता है।

भारतीय माल विक्रय अधिनियम, 1930 के अनुसार एक अनुबन्ध में कुछ स्पष्ट व गर्भित शर्तें होती है गर्भित शर्तों से तात्पर्य ऐसी शर्तों से है। जो कानून द्वारा गर्भित है तथा कानून द्वारा विक्रेता पर थोप दी जाती है कानून द्वारा गर्भित शर्तें सभी विक्रय अनुबन्धो पर अपने आप लागू होती है यदि पक्षकारो ने इनके प्रतिकूल कोई अनुबन्ध नही किया है अथवा यह स्पष्ट शर्तों के प्रतिकूल न हो। धारा-16(4)

⇒ माल विक्रय अनुबंध अधिनियम में निम्नांकित गर्भित शर्तों का उल्लेख है :—

1. माल के स्वत्व सम्बन्धि शर्तें :—

जब अनुबंध मे कोई विपरीत बात न हो तो प्रत्येक विक्रय अनुबंध मे यह गर्भित शर्त होती है कि :-

* विक्रय की दशा मे विक्रेता को माल बेचने का अधिकार है।
* विक्रय ठहराव कि दशा मे माल के स्वामित्व के अन्तरण के समय विक्रेता को माल बेचने का अधिकार होगा।

धारा - 14(a)

इस प्रकार स्पष्ट है कि विक्रय अनुबन्ध मे एक गर्भित शर्त होती है कि विक्रेता को माल बेचने का अधिकार होता है किसी भी क्रेता की यह पूछने की आवश्यकता नही है कि वह माल बेचने का अधिकारी है या नही।

उदाहरण - सता बन्ता को चुराई हुई कार बेच देता है कुछ दिनो बाद उसका वास्तविक स्वामी बन्ता से कार मागता है परिणामस्वरूप उसे वह कार लौटानी पडती है अब बन्ता को यह अधिकार है कि वह सता से उस का चुकाया हुआ मूल्य प्राप्त कर ले यह अधिकार बन्ता को विक्रता अनुबन्ध मे माल के स्वत्व के गर्भित शर्त के आधार पर मिलता है (रोलेण्ड बनाम दिवास के मामले के आधार पर)

इस सम्बन्ध मे यह बात ध्यान योग्य है कि यदि किसी व्यक्ति के पास वस्तु का स्वामित्व हो किन्तु उस माल को उसे बेचने का अधिकार न हो तो शर्त भग मानी जायेगी और अनुबन्ध रद्द किया जा सकता है।

उदाहरण - निबनैट बनाम कन्फेक्शनरी मैटेरियल्स कम्पनी के मामले मे प्रतिवादी ने वादी को दूध के पाउडर के 3000 डिब्बे बेचे माल की सुपुर्दगी पर मालूम

हुआ कि निश्चित Nissy brand के लेबल लगे हुए
ये Nestle brand के दूध के पाउडर निर्माताओं कि
आपत्ति पर इनको कम मूल्य पर बेचना पड़ा इंग्लैण्ड
कि किन्स बेन्च बेन्च ने निर्णय दिया की क्रेता शर्त
भंग मान सकता था कम मूल्य पर बेचने के कारण हुई
हानि को पूर्ति कर सकता है।

2. वर्णन सम्बन्धी शर्तें :—
जब माल का विक्रय वर्णन के आधार पर होता है तो
वहाँ वह गर्भित शर्त होती है कि वस्तुऐ उस वर्णन
के अनुसार ही होगी। (धारा 15)
यदि वस्तु या माल वर्णन के अनुरूप नही होगा तो
क्रेता उस वस्तु को स्वीकार करने के लिए क्रय नही
किया जा सकता इतना ही नही क्रेता अनुबन्ध का
परित्याग करके क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है इस
सम्बन्ध में Lord Abinger मत अत्यन्त स्मरणीय है
इसके अनुबन्ध में एक व्यक्ति माल खरीदने का प्रस्ताव
करता है कि विक्रेता उसे सेब भेज देता है तो यह
माना जायेगा कि विक्रेता उसे अनुबन्ध का पालन
नही करा रहा है और यदि वह उनके स्थान में कोई
अन्य वस्तु भेज देता है तो वही अपने अनुबन्ध का
कर सकता है।
न्यायाधीश चैनेल के अनुसार चैनेल ने स्पष्ट करते
हुए लिखा है। यह बात उन सभी सिथतियों में
लागू होती है जबकि क्रेता ने माल को ना देखा हो
तथा विक्रेता द्वारा किये गये बढ़ाई या विश्वास
करके ही खरीदा हो

Ex. अनिल सुनिल को एक घास कटाई कि मशीन यह कहकर बेचता है कि यह मशीन उसने पिछले वर्ष ही खरीदी है तथा 5-7 एकड कि कटाई हो कि है तथा मशीन एकदम सही काम कर रही है। परन्तु सुनिल ने इस मशीन को देखा तो उसे ज्ञात हुआ कि मशीन तो जर-जर हो गई है और बहुत ही पुरानी है इस पुरानी अनिल मशीन स्वीकार नही करता है तथा सुनिल पर मूल्य के बिना वाद प्रस्तुत करता है यहाँ अनिल मूल्य प्राप्त करने मे सफल नही सकेगा क्योंकि माल वर्णन के अनुसार हो अत: अनुबंध में शर्त भंग हुई मानी जायेगी और अनुबन्ध व्यर्थ हो जायेगा।

(बाबलो बनाम व्हिप के मामले पर आधारित)

(निकोल्सन एण्ड वेन बनाम स्मिथ रियल)

3. नमूने के सम्बन्ध में शर्त :—

इस अनुबन्ध मे स्पष्ट तथा गर्भित रूप से यह बात कही गई है कि माल नमूने के आधार पर बेचा जायेगा तो ऐसे अनुबन्ध को विक्रय द्वारा अनुबंध कहते है। (धारा 17(1))

जब माल नमूने दिखाकर बेचा जाता है तो यह गर्भित शर्त होती है कि आपूर्ति किये गये माल की किमत किस्म एव प्रवृति के नमूने के समान हो जायेगी।

* सम्पूर्ण माल नमूने के गुणो के अनुपम होना चाहिए।
* सम्पूर्ण माल को नमूने से मिलान करने का क्रेता को पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए।
* माल मे कोई दोष नही होना चाहिए जिसका साधारण जाँच द्वारा पता लगाया नही जा सकता है हो तथा उस दोष से माल व्यापार के लिए अयोग्य हो सकता है।

नमूने के अनुसार माल प्राप्त नहोने पर क्रेता शर्त भंग मानकर अनुबंध का परित्याग कर सकता है तथा अगर माल को मिलान करने का अवसर नही दिया

जाता है तो वह माल लेने से मना कर सकता है।
इसके अतिरिक्त यदि माल का कुछ भाग वर्णन के अनुसार तथा कुछ भाग अलग था मिलान नहीं खाता है तो क्रेता सम्पूर्ण माल को लेने से इंकार कर सकता है तो क्रेता सम्पूर्ण माल नहीं रखने के लिए अस्वीकार कर देता है तथा विक्रेता से क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है।

Ex. E&M रूपेन्न बनाम केयर रबेस कम्पनी लीमिटेड के मामले मे उल्लेखनीय है कि एक विशेष प्रकार के रबर के विक्रय का ठहराव नमूने के आधार पर हुआ माल एक निश्चित लम्बाई एवम् चौडाई का सुपुर्दगी किया जाना था माल का नाप नमूने कि नाप से भिन्न था किन्तु एक सामान्य प्रक्रिया से नमूने के अनुरूप बनाया जा सकता था किन्तु निर्णय दिया गया कि माल नमूने के अनुसार नहीं होने से अस्वीकार किया जा सकता है कई बाद माल नमूने के अनुसार होता है किन्तु नमूने मे हो कुछ ऐसे अदृश दोष विद्यमान होते है जिनके कारण माल विक्रय योग्य नहीं होता है ऐसी दशा मे भी माल को अस्वीकार किया जा सकता है।

उदाहरण – संस्था अपने कार्यालय के कर्मचारियों के लिए वर्दी का कपड़ा नमूने के आधार पर खरीदता है सुपुर्दगी पर देखा कि कपड़ा नमूने के अनुसार ही है किन्तु उस मे अदृश्य दोष के कारण इसकी वर्दी नहीं बनाई जा सकती यह दोष नमूने मे भी था किन्तु सामान्य जाँच से उस दोष का पता नहीं लगाया जा सकता था अतः संस्था के व्यापारी को कपडा लौटाने का अधिकार है।
(ड्रमन्ड एण्ड सन्स बनाम एण्ड इमर्सन कम्पनी के मामले पर आधारित)

4. वर्णन तथा नमूने सम्बन्धित शर्त :—

यदि माल का विक्रय वर्णन तथा नमूने दोनो के आधार पर होता है तो ऐसी स्थिति में माल को केवल नमूने के अनुसार ही होना चाहिए दूसरे शब्दो में नमूने तथा वर्णन द्वारा माल के विक्रय की दशा में यह एक गार्मित शर्त होती है कि माल नमूने तथा वर्णन दोनो के अनुसार होगा। [धारा-15]

Ex. अमित, बन्टी को 100 कुंतल चावल का देहरादून से बेचने का ठहराव करता है जिसका वह नमूना भी देखा देता है सुपुर्दगी के समय देहरादून के बासमती चावल की जगह अन्य चावल दे देता है यहा पर गार्मित शर्त भंग जायेगी क्योंकि माल नमूने के अनुसार है लेकिन वर्णन के अनुसार नही है अत: अनुबंध त्रुटि माना जा सकता है।

5. वस्तु की किस्म तथा उपयुक्तता की गार्मित शर्त :—

सामान्य विक्रय अनुबन्ध में यह नियम लागू होता है कि माल सुपुर्दगी कीये जाने के बाद उसकी किस्म तथा उपयुक्तता की कोई शर्त नही होती है क्रेता को स्वंम ही वस्तु की जाँच पडताल करके उसकी किस्म तथा उपयुक्तता का पता लगाया जाता है किन्तु निम्नलिखित दशाओ मे विक्रेता को क्रेता को माल की उपयुक्तता की जाँच करनी चाहिए तथा क्रेता को उपयुक्त किस्म का माल देना चाहिए।

यदि क्रेता विक्रेता को किसी वस्तु के क्रय करने से पहले ही उस वस्तु के खरीदने के अपने उद्देश्य पूर्ण स्पष्ट या गार्मित रूप से बता देता है तो माल की किस्म एवं उपयुक्तता की गार्मित शर्त लागू होती है किन्तु उस सम्बन्ध में इन शर्तो को पूरा करना अनिवार्य होगा।

अ. वस्तु के क्रय करने का उद्देश्य स्पष्ट या गार्मित रूप से बता दिया गया हो।

ब॰ क्रेता विक्रेता की माल के विक्रय में कुशलता तथा विवेक पर विश्वास करता हो।

स॰ माल ऐसा हो जिसे विक्रेता अपने सामान्य व्यापार के दौरान बेचता हो। (धारा 16(1))

उदाहरण:- अनिल एक दवा विक्रेता के पास जाकर कहता है कि और गर्म पानी भरने के लिए काँच की बोतल की आवश्यकता है विक्रेता उसे ऐसी बोतल देता है जिसमें गर्म पानी भरना सम्भव नही है अनिल बोतल मे पानी भरकर रखता है तो वह बोतल टूट जाती है और अनिल को चोट पहुँचती है। यहाँ अनिल को विक्रेता के साथ शर्त भंग का वाद प्रस्तुत करने तथा अपनी हानि के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है क्योंकि क्रेता ने वस्तु को खरीदने का उद्देश्य स्पष्ट कर दिया था।
(प्रिस्ट बनाम लास्ट तथा चाण्डर बनाम हापकिन्स के मामले पर आधारित।)

यदि वस्तुओं का उपयोग पहले से ही केवल एक ही उद्देश्य के लिए किया जाता है तो वस्तुओं का क्रय करने का उद्देश्य बताना आवश्यक नही है।
उदाहरण:- रानी की चमड़ी अत्याधिक नाजुक एवम् अति संवेदनशील है वह एक विशेष सण्ड के शैम्पू का उपयोग करती है जिससे उसके सिर की चमड़ी पर फफोले हो जाते है वह दुकानदार से अपनी चमड़ी की अति संवेदनशीलता का उल्लेख नही किया था।
(ग्रिफिरस बनाम पीटर कोमन्से लिमिटेड के मामले पर आधारित।)

पेटेन्ट व ट्रेडमार्क वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में यह बातें ध्यान देने होते है कि ये वस्तुएं सामान्य लोगो द्वारा सामान्य परिस्थितियो में उपयोग लाई जा सकती है।

6. माल के व्यापार सम्बंधी शर्त :—

माल विक्रय अनुबन्ध में एक गर्भित शर्त यह भी होती है कि माल व्यापार होना चाहिए जबकि वर्णन के आधार पर माल ऐसे विक्रेता (चाहे वह उस वस्तु का निर्माता अथवा उत्पादक हो या नहीं हो) से खरीदा जाता है जो सामान्यत उस वर्णन माल का व्यापार करता है तो यह गर्भित शर्त होती है कि माल व्यापार योग्य किस्म का होगा। [धारा 16(2)]

यदि इस शर्त को भंग किया जाता है तो क्रेता को अनुबन्ध का परित्याग करने तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होगा। [मोरेली बनाम फिंच गिब्बन्स के मामले पर आधारित]

यदि क्रेता ने वस्तु की जाँच कर ली हो तो विक्रेता ऐसी दोषो के लिए उत्तरदायी नही होता जिनका सामान्य जाँच द्वारा पता लगाया जा सके।
यहाँ व्यापार योग्य किस्म के माल से आशय किसी ऐसे माल से है जिसे उस उद्देश्य या कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है।

Ex. जैसे हुए सीमेन्ट, बासी ब्रेड, फटे-फटे कपडे, प्रभावो से छोटे-बडे उत्पाद आदि को धूप पर बेचा जाता है। अतः ऐसे सभी माल को कानून द्वारा व्यापार योग्य नही माना जाता है।

7. माल के पौष्टिकता सम्बन्धी शर्त :—

इस गर्भित शर्त को अधिनियम से स्पष्ट रूप से नही बताया गया है किन्तु कुछ न्यायलयो ने इसे विक्रय अनुबन्ध की गर्भित शर्त माना है यह शर्त खाद्य पदार्थो पर लागू होती है। इस शर्त के अनुसार विक्रेता द्वारा

बेचे गये माल स्वस्थ कर या पोष्टिक होगा यदि ऐसा नही होगा तो क्रेता उस खाद्य पदार्थ के क्रय को अनुबन्ध को व्यर्थ समझेगा तथा क्रेता उस माल की क्षतिपूर्ति करना सकेगा।
(फ्रोस्ट बनाम आइलेसबरी डेयरी कम्पनी के मामले पर आधारित)

8. व्यापार की रीति या परम्परा द्वारा शर्तें:—

किसी विक्रय अनुबन्ध में व्यापारिक रीति या परम्परा के अनुसार भी माल की किस्म अथवा उपयोगिता की शर्त हो सकती है। (धारा 16(3))

सामान्यतः व्यापारिक अनुबन्धों में स्पष्ट शर्तों के अभाव में व्यापार रीति या परम्परा से ही अनुबन्ध किये जाते है किन्तु यदि कोई रीति या परम्परा अनुचित है तो उसका पालन करना आवश्यक नही है ऐसी दशा में क्रेता सावधान रहो का नियम लागू होगा।
(जॉनसन बनाम रेल्टन के मामले पर आधारित)

Ex. सिगरेट निर्माता कम्पनी से 1000 सीगरेट खरीदने का अनुबन्ध करना तो इसमे ये गर्भित शर्त होती है कि विक्रेता अपने ब्राण्ड की गर्भित शर्त होगी।

प्रश्न-चार

Q.4. वस्तु विक्रय अधिनियम के अन्तर्गत सुपुर्दगी से आपका क्या अभिप्राय है माल के स्वामित्व के हस्तान्तरण के वैधानिक प्रावधानो की व्याख्या कीजिए ?

अथवा

निश्चित तथा अनिश्चित माल से क्या आशय है माल विक्रय अनुबन्ध मे विक्रय से क्रेता के पास माल का स्वामित्व जोखिम कब अन्तरित होती है ?

अथवा

निश्चित के स्वामित्व का अन्तरण कब और कैसे होता है ?

अथवा

माल के विक्रय में स्वत्व के अन्तरण सम्बधित नियमों का वर्णन कीजिए ?

उत्तर-चार

Ans- माल विक्रय अधिनियम के अनुसार 'एक व्यक्ति से दूसरे को स्वेच्छा पूर्व माल के अन्तरण को ही सुपुर्दगी कहते है ? [धारा 2(21)]

विक्रेता द्वारा माल की सुपुर्दगी करके तथा क्रेता द्वारा माल का भुगतान करके विक्रय अनुबन्ध का निष्पादन किया जाता है अतः अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार एक विक्रेता का कर्तव्य है कि वह माल की क्रेता को सुपुर्दगी करे तथा क्रेता उस माल को स्वीकार करके भुगतान करे। [धारा 3(1)]

माल की सुपुर्दगी तथा मूल्य का भुगतान दोनो ही विक्रय अनुबन्ध की समवर्ती शर्ते होती है सुपुर्दगी से आशय "माल का हस्तान्तरण विक्रेता से क्रेता को होता है तथा साथ ही सुपुर्दगी के समय माल के स्वामित्व तथा जोखिम का भी हस्तान्तरण हो जाता है।"

सामान्य रूप से सुपुर्दगी तीन प्रकार से होती है :—

1. वास्तविक सुपुर्दगी
2. सांकेतिक सुपुर्दगी
3. रचनात्मक सुपुर्दगी

1. वास्तविक सुपुर्दगी :—

इस प्रकार की सुपुर्दगी मे माल वास्तविक रूप में विक्रेता द्वारा क्रेता को अथवा उसके एजेन्ट को सौंपा जाता है दूसरे शब्दो मे जब माल भौतिक रूप से विक्रेता द्वारा क्रेता को या उसके एजेन्ट को सौंप दिया जाता है जो उसे माल की वास्तविक सुपुर्दगी कहते है।

2. सांकेतिक सुपुर्दगी :—

इस प्रकार की सुपुर्दगी के अन्तर्गत माल वास्तविक अथवा भौतिक रूप में विक्रेता द्वारा क्रेता को हस्तान्तरित नहीं किया जाता है बल्कि विक्रेता द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिसके कारण माल क्रेता के अधिकार में आ जाता है या क्रेता माल की सुपुर्दगी प्राप्त कर सकता है उस प्रकार की सुपुर्दगी में आचरण के आधार पर ही माल की सुपुर्दगी हुई मानी जाती है

Ex. माल के गोदाम की चाबी, माल की विल्टी देना, जमीन या प्रोपर्टी के कागज देना आदि।

3. रचनात्मक सुपुर्दगी :—

जब विक्रेता कोई ऐसा कार्य करता है जिसके प्रभाव से ही माल की सुपुर्दगी विक्रेता के एजेन्ट से क्रेता के

एजेन्ट को हुई मानी गई जाती है तो उसे रचनात्मक सुपुर्दगी कहते है। इस प्रकार की सुपुर्दगी में माल का भौतिक रूप से आदान-प्रदान नहीं होता है इसे "काल्पित सुपुर्दगी" भी कहते है।

इस प्रकार की सुपुर्दगी में माल उसी व्यक्ति के पास पड़ा रहता है किन्तु वह व्यक्ति पहले उस माल के लिए विक्रेता का एजेन्ट था किन्तु अब वह क्रेता का एजेन्ट हो गया है।

Ex. अन्ता, बन्टा को 10 टन संतरे भेजने का प्रस्ताव करता है और संतरे भेज देता है संतरे एक कोल्ड स्टोरेज मे रखे हुये है अन्ता उन संतरों को बन्ता को सौंपने का पत्र कोल्ड स्टोरेज के स्वामी को दे देता है बन्ता उन सन्तरो को उसी कोल्ड स्टोरेज मे पड़े रहने देता है अतः माल की सुपुर्दगी अन्ता के एजेन्ट से बन्ता के एजेन्ट को एक पत्र द्वारा हो गई यह रचनात्मक सुपुर्दगी है।

माल के स्वामित्व के हस्तान्तरण के वैधानिक प्रावधान :—

माल के स्वामित्व के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में वैधानिक प्रावधानों को निम्नलिखित 4 भागो मे बाँटा गया है।

I. अनिश्चित माल की दशा मे स्वामित्व का हस्तान्तरण
II. निश्चित माल की दशा मे स्वामित्व का हस्तान्तरण
III. अनुमोदन पर विक्रय की दशा मे स्वामित्व का हस्तान्तरण
IV. व्यवस्थापन के अधिकार को सुरक्षित करने की दशा मे स्वामित्व का हस्तान्तरण।

I. अनिश्चित माल की दशा में स्वामित्व का हस्तान्तरण :—

यदि माल को विक्रय अनुबन्ध के समय पहचान कर निश्चित नहीं कर दिया गया है तो ऐसा माल अनिश्चित माल कहलाता है।

ऐसे माल का विक्रय वर्णन के आधार होता है अनिश्चित माल में स्वामित्व का हस्तान्तरण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक माल निश्चित नहीं कर लिया जाये [धारा 18]

निश्चित करने से तात्पर्य यह है कि यदि माल अभी निर्मित है तो उसका निर्माण कर लिया जाये अथवा माल कहीं से प्राप्त करना है तो प्राप्त कर लिया जाये। अनिश्चित माल के स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम क्रियाशील होते हैं:-

1. यदि माल का विक्रय वर्णन के अनुसार है :-

यदि अनिश्चित अथवा भावी माल का विक्रय वर्णन के आधार पर किया गया है और उस वर्णन के अनुसार क्रेता व विक्रेता की सहमति द्वारा कुल माल में से अलग करके निश्चित कर लिया जाना है तो ऐसा ही माल के स्वामित्व का क्रेता को अन्तरण हो जाता है ऐसी सहमति स्पष्ट अथवा गर्भित रूप से दी जा सकती है माल के विनियोजन से पूर्व अथवा पश्चात् दी जा सकती है [धारा 23 (2)]

2. माल वाहक को सौंपना :-

अनुबन्ध के अनुसार यदि विक्रेता ने माल किसी माल वाहक को अर्थात् निक्षेपग्रहीता (चाहे क्रेता ने उसका नाम बताया हो अथवा नहीं) को इस उद्देश्य से सौंपा दिया गया हो कि वह माल क्रेता तक पहुँचा देगा तो ऐसी स्थिति में माल वाहक अथवा निक्षेपग्रहीता को माल सौंपते ही माल निश्चित हुआ माना जाता है तथा साथ ही माल का स्वामित्व का अन्तरण हुआ माना जाता है।

यदि विक्रेता माल पर अपना अधिकार सुरक्षित रख लेता है तो माल का विनियोजन या स्वामित्व का अन्तरण हुआ नहीं माना जायेगा। (धारा 23 (2))

यदि विक्रेता माल की बिल्टी क्रेता को अन्तरित कर देता है अथवा मौरट ऑफिस में माल सौंप देता है तो भी माल का विनियोजन माना जाता है तथा क्रेता को माल का स्वामित्व का अन्तरण पूरा हो जाता है।

II निश्चित या विशिष्ट माल की दशा में स्वामित्व का हस्तान्तरण :—

विशिष्ट माल से आशय ऐसे माल से है जो विक्रय अनुबन्ध करते समय पहचान कर निश्चित कर दिया गया है। उदाहरण के लिए अमर एक दुकान में एक विशेष टिशर्ट की ओर संकेत कर विक्रय का प्रस्ताव करता है तथा दुकानदार उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। यहाँ क्रेता एवं विक्रेता द्वारा माल को पहचान कर निश्चित कर लिया है अतः यह निश्चित या विशिष्ट माल के लिए अनुबन्ध है।

अ. पक्षकारों की पारस्परिक सहमति द्वारा :—

धारा 19 के अनुसार यदि माल विक्रेता अनुबन्ध निश्चित या विशिष्ट माल के सम्बन्ध में है तो माल के स्वामित्व का हस्तानान्तरण उस समय होता है जब पक्षकार चाहते हो अर्थात् जो उन्होंने अनुबन्ध के समय निर्धारित किया हो परन्तु जब स्वामित्व के हस्तानान्तरण का समय एवं विधि पक्षकारों के पारस्परिक सहमति से तय नहीं हो पाती है तो निम्नलिखित नियम लागू होते हैं :—

1. जब माल सुपुर्दगी योग्य स्थिति में हो :— यदि विशिष्ट माल से है जिसके सम्बन्ध में विक्रय अनुबन्ध

मे कोई शर्त नही है जो सुपुर्दगी योग्य स्थिति मे है तो माल के स्वामित्व का अन्तरण, उसी समय माना जायेगा, जिस समय अनुबन्ध हुआ है। (धारा 20)

इस बात का स्वामित्व के हस्तान्तरण पर कोई प्रभाव नही पड़ता है कि भुगतान के समय अथवा माल की सुपुर्दगी अथवा दोनो का ही स्थगित कर लिया जाता है दूसरे शब्दो मे यदि माल की सुपुर्दगी अथवा माल मूल्य का भुगतान अथवा दोनो को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है तो भी स्वामित्व का अन्तरण किया जा सकता है।

2. यदि माल सुपुर्दगी योग्य स्थिति मे नहीं हों :-

यदि कोई विशिष्ट निश्चित माल जो सुपुर्दगी योग्य स्थित में कोई नही है किन्तु उसे सुपुर्दगी योग्य बनाया जाना है तो माल के स्वामित्व का अन्तरण उस समय तक हुआ नही माना जायेगा जब तक कि विक्रेता ने माल को सुपुर्दगी योग्य स्थिति मे नहीं ला दिया हो तथा उसने क्रेता को इस आश्चय की सूचना भी न दे दी हो। (धारा - 21)

उदाहरण - नमक की पैंकिंग, गेहूं की बोरियां मे पैंकिंग कच्चे माल से तैयार माल बनाना।

3. यदि मूल्य निर्धारण सम्बंधी कार्य शेष हो :-

कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां भी होती है जबकि निश्चित माल सुपुर्दगी योग्य स्थिति में होता है किन्तु उसके मूल्य के निर्धारण मे विक्रेता को कुछ कार्य करना शेष हो जैसे- माल को तौलना, मापना आदि। तो ऐसी दशा मे समय के स्वामित्व का हस्तान्तरण क्रेता को उसी समय तक

हुआ नहीं रहा जायेगा जब तक कि विक्रेता द्वारा वह कार्य नहीं कर लिया हो तथा क्रेता को इस आशय की सूचना नहीं दे दी हो।

III अनुमोदन पर विक्रय की दशा में स्वामित्व का हस्तान्तरण :-

जब क्रेता की पसन्दगी तथा अनुमोदन की शर्त पर माल जब क्रेता भेजा जाता है तो माल के स्वामित्व का अन्तरण तभी होता है जबकि माल क्रेता को पसन्द आ जाये माल पसन्द नहीं आता है तो क्रेता माल को वापिस लौटा देता है। वापसी की शर्त अथवा अनुमोदन पर विक्रय की दशा में स्वामित्व का अन्तरण निम्नलिखित दशाओं में हो सकता है :-

1. विक्रेता को सूचना प्राप्त होने पर :-

जब क्रेता द्वारा विक्रेता को माल की क्रय की सूचना दे दी जाती है तो माल के स्वामित्व का हस्तान्तान्तरण हुआ माना जाता है ऐसी सूचना स्पष्ट तथा गर्भित रूप से दी जा सकती है। [धारा 24(a)]

2. विक्रेता द्वारा माल को अपनाने पर :-

यदि क्रेता विक्रेता को सूचना नहीं देता है किन्तु ऐसा कार्य करता है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने माल को अपना लिया है तो उसी समय माल के स्वामीत्व का अन्तरण हुआ माना जाता है जब यह उस माल को अपना लेता है। (धारा 24(a))

Ex. T.V सेर पसन्दगी के आधार पर खरीदकर किसी अन्य व्यक्ति के पास गिरवी रख देता।

(किरखम बनाम एलेनबोरो के मामले पर आधारित)

3. क्रेता द्वारा बिना सूचना दिये माल रोकने पर :—
यदि माल पसन्द की शर्त पर बेचा गया है और माल लौटाने का समय निश्चित कर दिया गया तो उस निश्चित समय के बित जाने बाद माल के स्वामित्व का अन्तरण हुआ माना जाता है यदि माल को लौटाने का निश्चित समय नही दिया है तो कुछ समय बितने के बाद माल के स्वामित्व का अन्तरण हुआ माना लिया जाता है। [धारा 24(b)]

4. क्रेता द्वारा माल की वापसी असम्भव करनेपर :—
जब क्रेता द्वारा कोई ऐसा कार्य या भूल दी जाती है जिसके कारण विक्रेता को माल की वापसी असम्भव हो जाती है तो भी माल के स्वामित्व का अन्तरण हुआ माना जाता है।
Ex: अंगूठी खरीदने के बाद चोरी हो जाना।

IV व्यवस्थापन के अधिकार को सुरक्षित करने की दशा में स्वामित्व का हस्तान्तरण :—

1. कुछ शर्तों के पूरा होने तक माल के व्यवस्थापन के अधिकार को सुरक्षित करना :—
जहाँ अनुबन्ध किसी निश्चित या अनिश्चित माल के विक्रय के लिये है तो विक्रेता अनुबन्ध अथवा विनियोग की शर्तों की आधार माल के व्यवस्थापन के अधिकार तब तक अपने हाथ मे सुरक्षित रख सकता है जब तक विक्रेता द्वारा अनुबन्ध के अन्तर्गत लगाई गई शर्तें क्रेता द्वारा पूरी न कर दी जाती है ऐसी दशा मे माल के स्वामित्व का अन्तरण तभी हुआ माना जायेगा जब शर्तें पूरी कर दी गई है।
भले ही माल विक्रेता द्वारा क्रेता को पहुँचाने के लिए किसी माल वाहक अथवा निक्षेपग्रहीता को ही क्यों न

सौंप दिया गया है। [धारा 25(1)]

Ex. माल वाहक को माल यह कहकर सौंपना की मूल्य प्राप्त करने के बाद भी माल क्रेता को सौंप दिया जाये।

2. जहाज अथवा रेलवे द्वारा माल भेजने की दशा मे व्यवस्थापन के अधिकार को सुरक्षित करना :—

जब माल जहाज अथवा रेलवे द्वारा भेजा जाता है और जहाजी व रेलवे बिल्टी को विक्रेता अथवा एजेन्ट के निर्देशानुसार ही क्रेता से सुपुर्दगी किया जाता है तो माल के स्वामित्व का अन्तरण तब तक हुआ नही माना जायेगा जब तक की जहाजी बिल्टी अथवा रेलवे बिल्टी को क्रेता को सुपुर्दगी नही किया जाता है अथवा सुपुर्दगीकरने के निर्देश नही दे दीये जाते है।

3. विनिमय बिल तथा बिल्टी दोनो को एक साथ क्रेता के पास भेजने की दशा मे माल के व्यवस्थापन के अधिकार की सुरक्षित रखना :—

यदि विक्रेता माल मुल्य के लिये क्रेता पर विनियोग बिल (B/E) लिखता है तथा बिल एवं बिल्टी दोनो एक साथ भेजता है और क्रेता उस बिल को स्वीकार नही करता है अथवा भुगतान नही करता है तो उसे बिल्टी वापस भेज देनी चाहिए। यदि क्रेता माल की बिल्टी को बिल के स्वीकार अथवा भुगतान किये बिना ही रोकता है तो माल के स्वामित्व का अन्तरण नही होता है। [धारा - 25 (3)]

2018

Q.5 कोई भी व्यक्ति माल में अपने से अच्छा स्वत्व नहीं दे सकता है इस कथन की समीक्षा कीजिए ? अधिनियम के अनुसार इसके अपवादो की विवेचना कीजिए ?

अथवा

कोई भी वह दे सकता है जो उसके आधिकार मे नही है टिप्पणी कीजिए क्या इस नियम के कोई अपवाद है उदाहरणिक सहायक से स्पष्ट कीजिए ?

अथवा

"जोखिम प्रथम दृश्य माल के स्वा स्वत्व के साथ ही अन्तरित होती है" समीक्षा कीजिए कोई भी व्यक्ति माल मे अपने से अच्छा स्वत्व नही दे सकता है ? माल विक्रय अधिनियम के अनुसार इस नियम के अपवादो की विवेचना कीजिए ?

Ans. "जोखिम प्रथम दृष्टया या माल के स्वत्व के साथ ही अन्तरित होती है।" वस्तु विक्रय अधिनियम के अन्तर्गत जब माल के स्वामित्व का अन्तरण विक्रेता से क्रेता को हो चुका हो तो ऐसी दशा मे भी माल के नष्ट हो जाने पर या चोरी हो जाने पर जो भी हानि होगी सम्पूर्ण जोखिम क्रेता की ही होगी।

सामान्यतः माल के स्वामित्व के आधिकार का अन्तरण केवल माल का स्वामी ही कर सकता है। इसलिए न्यायधीश बिलीया ने कहा है कोई भी व्यक्ति अपने स्वंय के स्वामित्व के अधिकार से अधिक अच्छा स्वामित्व आधिकार दुसरो को प्रधान नही कर सकता इसे लैटिन भाषा मे Nemo dat quod non habet कहा जाता है।

माल विक्रय अधिनियम में भी इस सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है उस अधिनियम के अनुसार "जब माल ऐसे व्यक्ति द्वारा बेचा जाता है जो उस माल का स्वामी नही है और वह उस माल को उसके स्वामी के अधिकार अथवा सहमति के बिना बेचता है तो क्रेता उस माल पर विक्रेता से अच्छा स्वामित्व अधिकार नहीं कर सकता।" (धारा 27)

इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को कोई भी दूसरा व्यक्ति उसकी इच्छा के बिना माल के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है एक व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से ही दूसरे व्यक्ति को किसी वस्तु का स्वामित्व अन्तरित कर सकता है कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के माल को तब तक नही बेच सकता जब तक कि वह उसे बेचने का अधिकार नही दे दे। अत यदि एक व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से माल खरीदता है जो स्वयं उस माल का स्वामी नही है तो उसे खरीदने वाला भी उस माल का स्वामी नहीं।

नियम के अपवाद :—

आधुनिक व्यवसायिक जगत में सदैव माल का स्वामी ही समस्त व्यवसायिक लेन देन तथा क्रय-विक्रय नही कर सकता है अतः स्वामी की अनुपस्थिति में भी माल का विक्रय होता है इसी प्रकार अन्य कई परिस्थितियाँ और है जिनमे माल का स्वामी माल का विक्रय नही करता है तो भी क्रेता को माल पर अच्छा अधिकार प्राप्त हो जाता है।

वे सभी अपवादजनक परिस्थितियाँ निम्न प्रकार से है :—

1. अवरोध अथवा प्रदर्शन की दशा में :—

जब माल का वास्तविक स्वामी ऐसी कोई बात कहता है अथवा ऐसा आचरण करता है जिससे यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता को किसी माल को बेचने का अधिकार है और दूसरा व्यक्ति उस बात अथवा आचरण पर विश्वास करके वह माल खरीद लेता है तो ऐसी स्थिति में क्रेता को उस माल पर विक्रेता से अच्छा स्वामित्व मिल जाता है। (धारा 27)

किन्तु क्रेता को माल के स्वामित्व के सम्बन्ध में पर्याप्त छान-बिन करनी चाहिए तथा माल खरीदने में लापरवाही नही बरतनी चाहिए।

Ex. अन्ता के पास बन्ता की हाथघड़ी है अन्ता उस घड़ी को सन्ता को बेचने का प्रस्ताव करता है बन्ता के सामने ही प्रस्ताव करता है बन्ता कुछ भी नही बोलता है तथा मौन ही रहता है जिससे सन्ता को यह विश्वास हो जाता है कि अन्ता ही उसका वास्तविक स्वामी है सन्ता उस घड़ी को खरीद लेता है यद्यपि यहाँ अन्ता को घड़ी का स्वामित्व प्राप्त नही है किन्तु अब सन्ता को अच्छा स्वामित्व प्राप्त हो गया है क्योंकि बन्ता ने कुछ भी नही कहा था उसके आचरण से यह मालूम हो रहा था मानो उसका घड़ी से कोई सम्बन्ध ही नही है" अतः यहाँ अन्ता प्रदर्शन द्वारा स्वामी माना जायेगा।"
(ओ. कोन्नार बनाम म्लार्क के मामले पर आधारित)

2. व्यापारिक एजेन्ट द्वारा विक्रय :—

जब एक व्यापारिक एजेन्ट अपने स्वामी की सहमति से अपने अधिकार में पड़े हुए माल का सामान्य प्रक्रिया

प्रक्रिया के अन्तर्गत विक्रय करता है तो ऐसा विक्रय वैधानिक माना जायेगा यदि क्रेता ने पूर्ण सद् विश्वास और उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि विक्रेता को माल बेचने का अधिकार नहीं है। [धारा 27]

ऐसी दशा में एजेन्ट को माल बेचने का अधिकार नहीं होने पर भी वह क्रेता को अच्छा स्वामित्व प्रदान कर देता है।

Ex. अमन अपनी कार बबलू नामक व्यापारिक एजेन्ट को कम से कम 10.0n रुपये में बेचने के लिए सौंपता है बबलू उस कार को 800n में सन्ता को बेच देता है सन्ता इस सद्भाव के साथ कार खरीद लेता है कि बबलू को उस मूल्य पर कार बेचने का अधिकार है। बाद में बबलू ~~से~~ धनराशि को नहीं देता है यहाँ अमन सन्ता से कार प्राप्त नहीं कर सकता है क्योंकि सन्ता ने कार एजेन्ट से सद्भाव से खरीदी थी और साथ ही एजेन्ट को कार बेचने का अधिकार प्राप्त था।
[फॉक्स बनाम किंग्स के मामले पर आधारित]

3. सह स्वामियों में से किसी एक सह-स्वामी द्वारा माल का विक्रय :—

यदि किसी माल के अनेक सह-स्वामी हैं तथा कोई भी सह-स्वामी सम्पूर्ण माल को सभी सह-स्वामियों की सहमति क्रेता को अच्छा स्वत्व प्राप्त हो जाता है।
यदि कोई सह-स्वामी अन्य सह-स्वामियों से बिना अनुमति के प्रथम अथवा बिना अधिकार प्राप्त किये माल का विक्रय कर देता है और यदि क्रेता ने इसे पूर्ण सद्भाव से खरीदा है तो भी क्रेता विक्रेता से अच्छा स्वामित्व प्राप्त कर लेता है। [धारा 28]

Ex. अनिल, सुनिल और मुकेश तीनो भाई एक रत्न-जड़ित अँगूठी के सह स्वामी है नीरज, अनिल से वह सद्भाव के साथ खरीद लेता है यहां नीरज को अंगूठी पर अनिल की अपेक्षा अच्छा स्वत्व प्राप्त हो जायेगा।

4. व्यर्थनीय अनुबन्ध के अन्तर्गत माल पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा विक्रय :—

यदि माल विक्रेता व्यर्थनीय अनुबन्ध (उत्पीड़न, अनुचित, प्रभाव, कपट तथा मिथ्या वर्णन - धारा 19 तथा 19(A) के अधीन) के अधीन भी प्राप्त कर देता है लेता है और वह उस माल को किसी भी व्यक्ति को बेच देता है तो ऐसा क्रेता विक्रय विक्रेता से अच्छा स्वत्व प्राप्त कर लेता है किन्तु ऐसे क्रेता को स्वत्व तभी मिलता है जबकि अ० उसने सद्विश्वास के साथ माल खरीदा हो तथा उसे उसकी वास्तविकता का ज्ञान न हो और पीड़ित पक्षकार ने तब तक उस अनुबन्ध को व्यर्थ घोषित नहीं किया गया हो। (धारा 29)

इस प्रकार इस धारा के लागू होने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन होना आवश्यक है :—

(i) विक्रेता ने माल व्यर्थनीय अनुबन्ध के अन्तर्गत प्राप्त किया हो
(ii) ऐसे विक्रेता ने किसी दूसरे व्यक्ति को माल बेच दिया हो
(iii) माल के क्रेता ने सद्विश्वास से माल खरीदा हो।
(iv) क्रेता को माल के वास्तविक तथ्यों की जानकारी न हो।
(v) माल क्रय करने तक पीड़ित पक्षकार ने उस अनुबन्ध को व्यर्थ घोषित नहीं किया हो।

Ex. अनन्त पिस्तौल से मार डालने की धमकी देकर बसन्त कि पत्नी से 5000 का हार 2000 रुपये में खरीद लेता है।

बन्ता, अन्ता के विरुद्ध कुछ कार्यवाही करे उससे पूर्व ही अन्ता उस हार को सन्ता को बेच देता है सन्ता पूर्व सद्विश्वास से खरीद लेता है तथा मूल्य का भुगतान कर देता है। यहाँ सन्ता को (क्रेता को) हार पर अच्छा अधिकार मिल गया है यद्यपि अन्ता (विक्रेता) को हार पर अच्छा अधिकार प्राप्त नहीं था।

5. विक्रय के बाद माल पर अधिकार रखने वाले विक्रेता द्वारा विक्रय :—

यदि माल का एक बार विक्रय हो चुका है किन्तु वह माल अथवा उसके आधिकार पत्र विक्रेता के अधिकार में ही है और वह विक्रेता अथवा उसका एजेन्ट उस माल को दूसरे पक्षकार को बेच देता है तो ऐसा क्रेता विक्रेता से अच्छा स्वत्व प्राप्त कर लेगा। किन्तु यह शर्त लागू होगी कि क्रेता ने सद्विश्वास में माल खरीदा हो तथा उसे पूर्व विक्रय की बिल्कुल सूचना या जानकारी न हो। धारा (30(2))

Ex. एक दुकानदार कुछ कपड़े अन्ता को बेच देता है परन्तु वह उन्हें वहीं छोड़कर चला जाता है थोड़ी देर बाद में दुकानदार वही कपड़ी मुकेश को बेच देता है मुकेश को पूर्व विक्रय के बारे में जानकारी नहीं थी। अतः मुकेश को माल पर अच्छा स्वत्व प्राप्त होगा।

6. माल पर अधिकार रखने वाले क्रेता द्वारा विक्रय :—

यदि किसी व्यक्ति ने माल खरीदा है या खरीदने का अनुबन्ध किया है और वह विक्रेता की सहमति से माल अपने अधिकार में ले लेता है किन्तु उसे स्वामित्व का अन्तरण नहीं हुआ है और क्रेता से

द्वारा तीसरे व्यक्ति को उस माल का पुनः विक्रय कर दिया जाता है तो तीसरे व्यक्ति को विक्रेता (क्रेता) से अच्छा स्वामित्व प्राप्त होगा। इस सम्बन्ध में यह नियम लागू होगा कि क्रेता ने विक्रेता से कि माल सद्विश्वास में खरीदा हो तथा क्रेता के स्वामित्व पर कोई संदेह न हो। (धारा 30(3))

7. अदत्त विक्रेता द्वारा विक्रय :—

एक अदत्त विक्रेता जिसके पास विक्रय किया हुआ माल पड़ा है तो वह अपने पास पड़े ऐसे माल का विक्रय कर सकता है यदि क्रेता उस माल पर उचित समय पर भुगतान नहीं करता है ऐसी स्थिति में भी क्रेता विक्रेता से अच्छा स्वत्व प्राप्त कर लेता है किन्तु इस सम्बन्ध में यह शर्त लागू होगी कि क्रेता से पूर्व सद्विश्वास से माल खरीदा है तथा उसे पूर्व विक्रय की जानकारी नहीं हो। (धारा 54)

8. खोये हुए माल को प्राप्त करने वाला व्यक्ति :—

भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की धारा 69 के अनुसार खोये हुये माल को प्राप्त करने वाला व्यक्ति निम्नलिखित परिस्थितियों में माल का विक्रय कर सकता है :—

(i) जब माल नष्ट हो जाने वाला हो अथवा उसके मूल्य का अधिकांश भाग कम हो जाने की सम्भावना अथवा

(ii) जब मालिक को ढूंढने तथा अन्य खर्चे वस्तु के मूल्य के लगभग दो तिहाई भाग के बराबर तय कर दीये हो अथवा

(iii) जब मालिक खर्चे को चुकाने से इन्कार करता हो इनमें से किसी भी एक शर्त के पूरा होने पर यदि माल का विक्रय किया जाता है तो क्रेता को विक्रेता से अच्छा तत्व का अन्तरण होगा।

मिथ्री ग्राही द्वारा विक्रय :—

9. यदि किसी कर्ता ने माल को यथासमय नही बुलाया है ये मिथ्री ग्राही माल को बेचकर अपने ऋण की राशि प्राप्त करने का अधिकारी होता है इस दशा में क्रेता विक्रेता से अच्छा स्वत्व अन्त कर लेता है।

उदाहरण :

राजकीय प्रापक :—

10 यद्यपि राजकीय प्रापक का माल पर स्वामित्व नही होता है किन्तु यदि वह दिवालिया की सम्पति बेचता है तो वह इस सम्पति के क्रेता को अच्छा स्वामित्व प्रदान कर सकता है कम्पनी की दशा मे यह अधिकार "विस्तारक" को मिल जाता है।

खुले बाजार मे वस्तुओं की विक्रय की दशा मे :—

11. यह अपवाद इंग्लैण्ड मे लागू होता है यदि इंग्लैण्ड मे कोई व्यक्ति कोई वस्तु (घोडो को छोडकर) खुले वैध बाजार मे रविवार को छोडकर शेष दिनो में पूर्ण सद्विश्वास से खरीदता है तथा उसे विक्रेता के दूषित अधिकारो की जानकारी नही है तो वह माल पर विक्रेता से अच्छा स्वत्व प्राप्त कर सकता है।

भारत मे यह अपवाद लागू नही होता है।

प्रश्न क्र. 6 — 2019

Q. 6 अदत्त विक्रेता से आप क्या समझते हैं ? अदत्त विक्रेता के माल के प्रति क्या अधिकार होते हैं ? समझाइए।

अथवा

2015 क्या एक अदत्त विक्रेता जिसके अधिकार में माल है, माल को अपने अधिकार में रोक कर रख सकता है ? यदि ऐसा है तो किन्तु परिस्थितियों में उन पर वह अपना ग्रहणाधिकार खो देता है ?

उत्तर 6.

Ans 6. अदत्त विक्रेता की परिभाषा :—

माल पर विक्रेता "अदत्त विक्रेता' तब माना जाता है जबकि

क. उसे विक्रय कीये गये माल का पूरा मूल्य नही चुकाया गया है या सम्पूर्ण मूल्य प्रस्तुत नही किया गया हो अथवा

ख. जब उसे मूल्य के भुगतान में कोई विनियम पत्र (B/F) अथवा अन्य विनिमय साध्य विलेख दिया गया है, किन्तु वह अप्रतिष्ठित (cancel) हो गया है। (धारा 45(1)

वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 के अनुसार विक्रेता दो प्रकार के होते हैं —

प्रथम 1. वह जिसे माल के विक्रेता सम्पूर्ण मूल्य या प्रतिफल प्राप्त हो गया हो, उसे पूर्ण विक्रेता कहते हैं इसके अलावा द्वितीय वह जिसे माल के विक्रय का आंशिक मूल्य या प्रतिफल बकाया हो ऐसे विक्रेता को अदत्त विक्रेता कहते है।

व्यावसायिक जगत में सामान्य रूप से लेनदेन नकद विनिमय पत्र या चैक के माध्यम से होता है जब विनिमय साध्य अभिलेख या चैक भुगतान के समय अनादृत हो जाते है तो वह विक्रेता अदत्त विक्रेता बन जाता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि अदत्त विक्रेता वह विक्रेता है जिसके अपने माल के मूल्य का भुगतान किसी भी रूप मे प्राप्त हुआ है। सामान्य रूप से अदत्त विक्रेता निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं :—

(i) ऐसा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को माल बेचता है।
(ii) उस बेचे गये माल के मूल्य का भुगतान नहीं मिला है।
(iii) यदि उस बेचे गये माल के प्रतिफल में कोई प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल, चैक, हुण्डी आदि मे से किया गया है, किन्तु उसका अनादरण हो गया है।
(iv) अदत्त विक्रेता वह विक्रेता भी हो सकता है जिसे मूल्य के एक भाग के मूल्य का भुगतान प्राप्त करना हो।
(v) एक बार पूर्ण प्रदत्त विक्रेता भी पुनः अदत्त बन सकता है। यदि उस विक्रेता को दिया गया विनिमय साध्य विलेख पत्र (बिल, चैक, हुण्डी आदि) माल की सुपुर्दगी से पूर्व ही अप्रतिष्ठित हो गया हो।

अदत्त विक्रेता के अधिकार :—

अदत्त विक्रेता को प्राप्त अधिकारो को दो वर्ग किया जा सकता है :—
अ माल के विरुद्ध
ब क्रेता के विरुद्ध

अ. माल के विरुद्ध :—

अदत्त विक्रेता को माल के विरुद्ध धारा 46 के अनुसार निम्न अधिकार होते हैं :—
I माल पर ग्रहणाधिकार
II माल को मार्ग मे रोकने का अधिकार
III माल के पुनः विक्रय का अधिकार

I माल पर ग्रहणाधिकार :—

ग्रहणाधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसके अन्तर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के माल को तब तक रोक कर रख सकता है जब तक उसकी किन्ही निश्चित माँगों को पूरा नहीं कर दिया जाता है।
दूसरे शब्दों में, "ग्रहणाधिकार किसी ऋण का भुगतान होने तक माल को अपने अधिकार में बनाये रखने का अधिकार है"।

ग्रहणाधिकार मिलने की परिस्थितियाँ तथा शर्तें :—

एक अदत्त विक्रेता को ग्रहणाधिकार निम्नलिखित परिस्थितियों में ही मिल जाता है :—

1. माल उधार की शर्त पर नहीं बेचा गया हो :—

अदत्त विक्रेता को ग्रहणाधिकार तब प्राप्त हो सकता है जबकि माल उधार न बेचा गया हो।
यदि अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार माल उधार बेचना निश्चित हुआ है तो अदत्त विक्रेता को बेचे गये माल पर ग्रहणाधिकार नहीं होगा। [धारा 47]

2. उधार की अवधि समाप्त हो गई हो :—

यदि माल उधार की शर्त पर बेचा गया है किन्तु अवधि के लिए माल उधार दिया गया है वह अवधि समाप्त हो चुकी है तथा माल अदत्त विक्रेता के पास ही हो तो उसे माल पर ग्रहणाधिकार मिल सकता है। [धारा 47]

3. माल का क्रेता दिवालिया हो गया हो :—

जब क्रेता माल का भुगतान करने से पूर्व ही दिवालिया हो गया हो तथा वह माल अदत्त विक्रेता के पास पड़ा हुआ हो तो भी अदत्त विक्रेता को ग्रहणाधिकार प्राप्त हो जाता है।

4. अदत्त विक्रेता का क्रेता के एजेन्ट अथवा निक्षेपग्रहीता होने की स्थिति में :—

यदि कोई विक्रेता क्रेता के एजेन्ट अथवा निक्षेपग्रहीता के रूप में रहकर कोई कार्य करता है तो एजेन्सी तथा निक्षेप के प्रावधानों के अनुसार भी विक्रेता को ग्रहणाधिकार मिल जाता है।

5. माल पर अदत्त विक्रेता का अधिकार :—

ग्रहणाधिकार तभी प्राप्त हो सकता है जबकि माल पर अदत्त विक्रेता अथवा उसके एजेन्ट का अधिकार हो। यदि माल पर क्रेता अथवा उसके एजेन्ट का अधिकार हो जाता है तो ग्रहणाधिकार समाप्त हो जाता है।

6. आंशिक सुपुर्दगी :—

यदि अदत्त विक्रेता ने क्रेता को माल की आंशिक सुपुर्दगी दे दी है तो भी अदत्त विक्रेता शेष माल पर ग्रहणाधिकार कर सकता है। किन्तु, यदि आंशिक सुपुर्दगी से ऐसा प्रकट होता है कि अदत्त विक्रेता ने अपने ग्रहणाधिकार का त्याग कर दिया है तो फिर उसे यह अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

अन्तर्गत, जब क्रेता दिवालिया हो जाता है और अदत्त विक्रेता जिसने माल किसी वाहक को दे दिया है तो उसे माल को मार्ग में रोकने का अधिकार होता है। [धारा 50]

इस धारा के लागू होने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है :—

1. विक्रेता को माल का पूर्ण या आंशिक मूल्य ना मिला हो।
2. क्रेता दिवालिया हो गया हो।
3. क्रेता की दिवालिया होने की सूचना विक्रेता को मिल गई हो।
4. विक्रेता ने माल के स्वामित्व का हस्तान्तरण कर दिया हो।
5. माल क्रेता अथवा उसके एजेन्ट के अधिकार में नहीं पहुँचा हो।
6. माल क्रेता को पहुंचाने के लिए भेज दिया गया हो।
7. माल मार्ग में होना चाहिए अर्थात् माल क्रेता के अधिकार में नहीं आया हो।
8. विक्रेता का यह अधिकार इस अधिनियम या अन्य किसी अधिनियम द्वारा समाप्त नहीं कर दिया गया हो।

III माल के पुनः विक्रय का अधिकार :—

अदत्त विक्रेता का माल के विरुद्ध तृतीय अधिकार यह है कि वह माल का पुनः विक्रय कर सकता है। अदत्त क्रेता को माल के पुनः विक्रय का अधिकार निम्नलिखित परिस्थितियों अथवा शर्तों के पालन से मिलता है।

जब माल नाशवान प्रकृति का हो।

(i) जब अदत्त विक्रेता ने ग्रहणाधिकार तथा माल को मार्ग में रोकने का अधिकार किया है, तो क्रेता को सूचना देकर पुनः विक्रय किया जा सकता है [धारा 54]

(ii) क्रेता को सूचना देकर माल बेचने पर विक्रेता द्वारा लाभ रखना तथा हानि की दशा में बाद प्रस्तुत करना। [धारा 54(2)]

(iv) यदि विक्रेता ने उचित मूल्य सूचना क्रेता को दिये बिना ही माल का पुनः विक्रय कर दिया है तो हानि की दशा में क्रेता बाध्य नहीं होगा तथा लाभ की दशा में क्रेता विक्रेता से अपनी लाभ प्राप्त कर सकता है। [धारा 54(2)]

(v) नये क्रेता को विक्रेता से अच्छा स्वामित्व प्राप्त होगा। [धारा 54(3)]

(vi) विक्रेता द्वारा माल के पुनः विक्रय के प्रति अधिकार आरक्षित करने पर पुनः विक्रय। [धारा 54(4)]

(vii) पुनः विक्रय अदत्त विक्रेता की स्वेच्छा से किया जाता है क्रेता पुनः विक्रय के लिए विक्रेता को बाध्य नहीं कर सकता।

ब: अदत्त विक्रेता का क्रेता के विरुद्ध अधिकार :—

अदत्त विक्रेता के क्रेता के विरुद्ध अधिकार निम्न है :—

(i) मूल्य के लिए वाद प्रस्तुत करना।
(ii) क्षति के लिए वाद प्रस्तुत करना।
(iii) अनुबन्ध को निम्न निरस्त करना।
(iv) ब्याज के लिए वाद प्रस्तुत करना।

यूनिट- IV

6/1/22

2017

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम- 2019

प्रश्न 1. 2017 2015 जिला उपभोक्ता मंच क्या है इसके द्वारा उपभोक्ता शिकायतें निवारण के लिए अपनाई जानी वाली प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।

जिला मंच की स्थापना व गठन :-

जिला मंच की स्थापना व गठन के सम्बन्ध में प्रमुख प्रावधान है।

स्थापना राज्य सरकार अपने राज्य के जिले में एक उपभोक्ता विवाद निवारण मंच स्थापित कर सकती है। इस मंच को जिला मंच के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना के लिये राज्य सरकार को धारा 9 (1) के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी करनी पड़ती है।

यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार उचित समझे तो एक जिले के लिए एक से अधिक जिला मंच भी स्थापित कर सकती है।

(2) गठन :-

(1) एक व्यक्ति इसका सभापति होता है।

(2) दो अन्य व्यक्ति सदस्य होते हैं। जिनमें एक महिला होती है।

(3) प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

(3) योग्यताएँ :-

जिला मंच की सभापति व सदस्यों की योग्यता निम्न प्रकार है।

1. सभापति ऐसा व्यक्ति होगा जो जिला न्यायधीश हो अथवा बनने की योग्यता रखता हो।

2. अन्य सदस्यों की योग्यता —

(a) वे 35 वर्ष के कम आयु के नहीं होंगे।

(b) उनके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से की स्नातक उपाधि हो।

(c) वे योग्यता विश्वसनीयता एवं ख्याति वाले होंगे तथा उन्हें आर्थिक, वाणिज्य, लेखाकर्म, उद्योगों सार्वजनिक मामलों अथवा प्रशासन से सम्बन्धित समस्याओं को निपटाने का कम से कम दस 10 वर्ष का अनुभव होगा [धारा 10(1)]

④ सदस्यों की नियुक्ति :—

जिला मंच के सभापति तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा चयन समिति के सिफारिश के आधार पर किये जायेगा। इस चयन समिति का गठन

1 राज्य आयोग का सभापति उसका अध्यक्ष होगा

2 राज्य के विधि विभाग के सचिव इसका सदस्य होगा।

3. उपभोक्ता मामलों के प्रभारि विभाग का सचिव उसका सदस्य होगा। [धारा 10-(2)]

⑤ सदस्यों का कार्यकाल तथा उनकी आयु :—

जिला मंच के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। किन्तु उनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

शिकायत निवारण की प्रक्रिया :-

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम धारा -13 में उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

(A) माल सम्बंधी शिकायतों की निवारण प्रक्रिया :-

जब जिला मंच को माल के सम्बन्ध में लिखित शिकायत प्राप्त होती है तो वह उसका निवारण निम्नलिखित प्रक्रिया के अन्तर्गत करेगा।

1. विरोधि पक्षकार को शिकायत के प्रति भेजना :-

जिला मंच शिकायत स्वीकार करने के 21 दिन के भीतर उस शिकायत के प्रति उसमें उल्लेखित विरोधी पक्षकार के पास भेजेगा। (2002 में संशोधित धारा -13(1)(a))

2. विरोधी पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश देना

जिला मंच विरोधी पक्षकार को 30 दिनों भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दे सकता है परन्तु मंच की इस अवधि को अधिकतम 15 दिनों के लिए बढ़ा सकता है।

3. आरोपों को अस्वीकार करने या विरोध करने पर मंच द्वारा निपटारा करना :-

यदि विरोधी पक्षकार शिकायत प्राप्त करने पर उस शिकायत में लगाये गये विरोधी को अस्वीकार करता है अथवा जिला मंच द्वारा दिये गये समय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने में त्रुटि करता है तो

जिला मंच धारा 13(1)(b) से 13(1)(g) अनुसार प्रणीत निपटारा करेगा।

4. वस्तु का नमूना प्राप्त करना, सील करना, प्रमाणीत करना :-

यदि शिकायत मे किसी माल मे खराबी होने का आरोप लगाया गया है तथा उस माल पर किसी जाँच के बीना खराबी का पता नही लगाया जा तो जिला मंच शिकायत कर्ता से उस माल एक नमूना प्राप्त करेगा तपस्चात उसे सील करके, उसे प्रमाणीत कर देगा (धारा 13(1)(c))

5. जाँच हेतु शुल्क जमा करवाना :-

जब माल का विश्लेषण या जाँच किसी प्रयोगशाला मे कि जानी है तो उसके खर्चों के भुगतान के लिए शिकायत कर्ता को जिला मंच के पास शुल्क जमा करवाना है (धारा-13(1)(d))

6. नमूने को जाँच के लिये प्रयोगशाला मे भेजना :-

शुल्क प्राप्त हो जाने के बाद मंच अब उस सील एवं प्रमाणीत उपयुक्त प्रयोगशाला के पास निम्न-लिखित निर्देशों के साथ भेजेगा।—

(i) माल पर आरोपित दोष को ज्ञात करने के लिए आवश्यक जाँच या विश्लेषण करे।

(ii) 45 दिनों के भीतर मंच के पास रिपोर्ट भेज दे।

7. मंच प्रयोगशाला से प्राप्त माल की जाँच या विश्लेषण की रिपोर्ट की एक प्रति विरोधी पक्षकार को अपनी एक टिप्पणी के साथ

लिखकर भेजदे। [धारा-13(1)(E)]

3. रिपोर्ट पर लिखीत विरोध प्रकट करना:-

यदि विवाद का कोई भी पक्षकार प्रयोगशाला की निष्कर्षों की सच्चो पर प्रयोगशाला द्वारा बनाये गये जांचे एवं विश्लेषण के तरीको का विरोध करता है तो मंच शिकायत कर्ता या विरोधी पक्षकार को लिखीत में अपना विरोध प्रस्तुत करने के लिए कहेगा। [धारा 13(1)(f)]

सुनवाई का अवसर देना:-

रिपोर्ट के विरोध में अपनी बात कहने का अवसर देना। [धारा 13 (1)(g)]

आवश्यक आदेश प्रसारीत करना:-

जब जिला मंच सन्तुष्ट हो जाता है जिस जिस माल के विरुद्ध शिकायत की गई है तो उस माल में कोई दोष है तो वह विरोधी पक्षकार को अथवा दोष मुक्त माल देने, मूल्य लौटाने के लिया तथा कोई अन्य आदेश दे सकता

आदेश पर हस्ताक्षर:-

जिला मंच पर द्वारा जारी किये गये आदेश पर सभापति तथा उस कार्यवाई के सन्चालन में भाग लेने वाले सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। धारा 14(9)(A)

11. अपिल का अधिकार :-

यदि कोसी पक्षकार को जिला मंच के आधिकार से आपति हो तो आदेश की तिथि के 30 दिनों के भीतर राज्य आयोग के समक्ष अपिल कर सकेगा। [धारा 15]

[B] सेवा सम्बधि शिकायतों की निवारण की प्रकिया :-

1. विरोधी पक्षकार के प्रति शिकायत की प्रति भेजना (धारा 13-2(a))

2 विरोधी पक्षकार को 30 दिनो के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश देना। [धारा 13 (2)(a)]

3. आरोपो को अस्वीकार करने पर या पक्ष प्रस्तुत नही करने पर मंच द्वारा एक पक्षीय फैसला दे दिया जाता है।

4. शिकायत कर्ता के उपस्थित नही होने पर जिला मंच उस शिकायत को निरस्त कर सकता है। उसके गुणों के आधार पर निर्णय कर सकता है

2016
2019

Q.2. उपभोक्ता से आप क्या समझते है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत उसके क्या अधिकार है।

Ans 2. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत उपभोक्ता को दो वर्गों में बाँटा गया है —
(अ) माल का उपभोक्ता
(ब) सेवाओं का उपभोक्ता।

(अ) माल का उपभोक्ता :—

माल के उपभोक्ता से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो प्रतिफल के बदले माल खरीदता है तथा इसमें उस माल का उपयोगकर्ता भी शामिल है। उपभोक्ता में वह व्यक्ति सम्मिलित नहीं है जो पुन: विक्रय या व्यापारिक उद्देश्य हेतु माल क्रय करता है। [धारा - 2(1)(d)(i)]

(ब) सेवाओं का उपभोक्ता :—

सेवाओं का उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो प्रतिफल के बदले किसी सेवा को भाड़े पर प्राप्त करता है, या उपयोग करता है तथा इसमें ऐसी सेवाओं से लाभ प्राप्त करने वाला या सेवाओं का उपयोग करने वाला व्यक्ति भी सम्मिलित है जो प्रतिफल चुकाने वाले की अनुमति से सेवाओं का उपयोग करता है और उसने

(i) उसके प्रतिफल का भुगतान कर दिया गया हो अथवा भुगतान करने का वचन दिया हो।
(ii) उसका आंशिक भुगतान कर दिया हो तथा आंशिक भुगतान करने का वचन दिया हो।
(iii) उसका भुगतान Instalment and Hire Purchase के अनुसार करने का वचन दिया हो [धारा 2 (d)(ii)]

उपभोक्ता के अधिकार :-

भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की प्रारम्भिक टिप्पणी और इस अधिनियम व्यवहार में उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लेख है।

1. सुरक्षा का अधिकार :-

उपभोक्ता का प्रथम अधिकार सुरक्षा का अधिकार है। उसे ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं से सुरक्षा प्रदान करने का अधिकार है जिनसे उसके शरीर एवं सम्पत्ति को हानि उत्पन्न हो सकती है। उसे किसी वस्तु अथवा सेवा से चोट लगने या बीमारी हो या क्षति होने या किसी भी व्यक्ति के अविवेक पूर्ण आचरण से क्षति होने के विरुद्ध सुरक्षा पाने का अधिकार है।

उपभोक्ता इस अधिकार के द्वारा दूषित प्रभावी खाद्य वस्तुओं, नकली दवाओं, गाड़िया यन्त्रों (अन्य जैसे, मिक्सर, आदि) तथा दुनिया के बाजार में उपलब्ध घटिया नकली, जाली सभी वस्तुओं से होने वाली हानि से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है।

2. चुनाव या पसन्द का अधिकार :-

उपभोक्ता का एक महत्वपूर्ण अधिकार यह है कि वह बाजार में उपलब्ध विभिन्न आकार की वस्तु या सेवा में से किसी भी वस्तु का चुनाव कर सकता है। वह किसी भी

उपभोक्ता द्वारा उत्पादित किसी भी मूल्य, गुण किस्म की वस्तु को अपनी स्वेच्छा से पसन्द कर सकता है। कोई भी व्यक्ति उसकी पसन्द को अनुचित ढंग से प्रभावी करता है तो यह उसके अधिकार में विघ्न माना जाता है। संक्षेप में उपभोक्ता अपने अधिकार को निर्माताओं द्वारा निर्मित विविध, ब्रांड, किस्म, गुण, रूप रंग, आकार तथा मूल्य की वस्तुओं में से किसी भी वस्तु का चुनाव करने में स्वतन्त्र होगा।

3. चुनाव सूचना पाने का अधिकार :—

उपभोक्ताओं को वे सभी आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार होता है जिनके आधार पर वह वस्तु व सेवा खरीदने का निर्णय कर सके ये सूचनाएं वस्तु की किस्म, मात्रा, पोटेंसी प्रभावोत्पादकता (Potency) में हो सकती हैं प्रमाप, मूल्य आदि के सम्बन्ध उन सूचनाओं को प्राप्त करके कोई भी उपभोक्ता व्यवसाय के अनुचित व्यवहारों से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है।

4. सुनवाई या कहने का अधिकार :—

उपभोक्ता यह अधिकार उसे अपनी बात या शिकायत उचित मंचों पर कहने या प्रस्तुत करने का अधिकार देता है उपभोक्ता अपने इस अधिकार का उपयोग करके व्यवसायी या सरकार के प्रति उपर अपने हितों में निर्णय लेने तथा नीति बनाने के अनुरूप

लिए बाध्य कर सकते हों। सुनवाई का अधिकार ही वह अधिकार है जिसके द्वारा वह अपनी शिकायत या असन्तोष को व्यक्त कर सकता है तथा अपने अन्य उपभोक्ता अधिकारों रक्षा कर सकता है। उपभोक्ता के इस अधिकार की रक्षा के लिये सरकार कानूनी रूप से सुनवाई की व्यवस्था कर सकती है।

5 उपचार का अधिकार :-

उपभोक्ता का यह अधिकार उसे अपनी उचित एवं न्यायपूर्ण उपचार या समाधान प्रदान करता है। इस अधिकार से उपभोक्ता को व्यवसाय के अनुचित व्यवहार अथवा अनैतिक शोषण मिलती है।

यह अधिकार उसे यह आश्वासन प्रदान करता है कि यदि क्रय कि गई वस्तु या सेवा उचित, न्यायोचित एवं सन्तोषजनक ढंग से उपयोग मे नहीं लाई जा सकती तो उसको उसे उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होगा।

दूसरे शब्दों में व्यवसाय द्वारा किये गये वादों तथा जनाई गई आशा के अनुरूप वस्तु संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर पाती हो तो यह अधिकार उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने मे सहायता प्रदान करता है।

6 उपभोक्ता शिक्षाया का अधिकार :-

उपभोक्ता का यह अधिकार उसे आजीवन एक जागरूक ग्राहक बने रहने मे सुविधा प्रदान करता है।

इस अधिकार के अन्तर्गत उपभोक्ता को उन सब बातों की शिक्षा व जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है। जो एक उपभोक्ता के लिए आवश्यक होती है। शिक्षा उपभोक्ता की जागरूकता की जागरूकता की आधारभूत आवश्यकता है जबकि सूचना किसी क्रय किए जाने वाली वस्तु या सेवा के सम्बन्ध में जानकारी है। अतः शिक्षा एवं सूचना के अधिकार में अंतर है।

7. मूल्य या प्रतिफल का अधिकार —

उपभोक्ता यह अपेक्षा करने का अधिकार भी रखता है कि उसे उसके द्वारा चुकाये गये धन का पूरा मूल्य मिल सकेगा उसे व्यवसाय द्वारा विक्रय के दौरान या विज्ञापन में किये गये वायदों तथा जगाई गई आशा को पूरा करवाने का अधिकार होता है।

8. स्वस्थ वातावरण का अधिकार :—

इस अधिकार के अन्तर्गत उपभोक्ता व्यवसाय से ऐसे स्वस्थ भौतिक वातावरण की अपेक्षा करता है। जिससे जीवन किस्म में सुधार हो सके। इस अधिकार के अन्तर्गत उपभोक्ता व्यवसाय से अपेक्षा करता है कि वह ऐसी निर्माण प्रक्रिया या तकनिक को अपनायेगा। ऐसी सामग्री व साधनों का उपयोग करेगा, ऐसे पैकेजिंग को अपनायेगा, जिससे देश के भौतिक वातावरण (जल, वायु ध्वनि) को किसी भी प्रकार की हानि होगी। इसके अतिरिक्त वह ये भी अपेक्षा करता है कि इन वस्तुओं एवं सेवाओं के उपयोग से